living in a very bad condition. They are mostly affected by this dengue fever. I urge upon the Government through this House to take appropriate steps to protect these poor people from the dengue fever, so also the participants of the Commonwealth Games, and if it spreads, then the foreigners and the sports people who are coming to our country may not like to join in the Commonwealth Games.

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA (Orissa): I associate myself with the matter raised by the hon. Member except on the charge of callousness on the part of the State Government.

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा) : सर, ...(**व्यवधान**)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No exception. We will now take up the Jharkhand Panchayat Raj (Amendment) Bill, 2010. Dr. C.P. Joshi.

————————

GOVERNMENT BILLS

The Jharkhand Panchayat Raj (Amendment) Bill 2010

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT AND MINISTER OF PANCHAYATI RAJ (DR. C.P. JOSHI): Sir, I beg to move:

That the Bill further to amend the Jharkhand Panchayat Raj Act, 2001, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

माननीय उपसभापति महोदय, यही एक ऐसा प्रदेश बचा है जिस प्रदेश में 73वां अमेंडमेंट एक्ट-92 का बनने के बाद हम चुनाव नहीं करा पाए। झारखंड ने 2001 में पंचायत का एक्ट बनाया, उसको हाई कोर्ट ने स्ट्रक कर दिया। हाई कोर्ट ने खास तौर से उसकी धारा-21B, 40B, 55B जिसमें यह कहा गया है कि शैडयूल्ड इलाके के सारे चेयर पर्सन रिजर्व होंगे, उसको स्टक किया, हाई कोर्ट ने झारखंड पंचायत राज एक्ट की धारा -70B(ii), 36B(ii), 51B(ii) में कहा गया है कि एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. में सब को मिलाकर 80 परसेंट का रिजर्वेशन होगा, उसको स्ट्रक किया है। हाई कोर्ट ने धारा-21A(i), 41A(i), 55A(i) जिसमें कहा गया है कि जो जनरल केटेगरी है उसमें रिजर्वेशन अन-रिजर्व्ड रहेगा, उसको स्ट्रक किया। वूमन के संबंध में जो रिजर्वेशन है उस पर भी हाई कोर्ट ने अपना निर्णय दिया। इस निर्णय के कारण झारखंड में हम पंचायत के चुनाव नहीं करवा पाए और पंचायत के चुनाव नहीं होने से फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर उनको पैसा भी नहीं मिल पाया। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद झारखंड ने 2010 में एक एक्ट बनाया, जिसमें वे सब चीजें एड्रेस कीं, जो होई कोर्ट ने अपने आब्जर्वेशन में दी थीं। इस जजमेंट में PESA Act के अन्तर्गत यह निर्णय किया गया था कि हम शैड्यूल्ड एरिया में चेयर पर्सन की पोस्ट रिजर्व्ड करेंगे तीनों टॉयर में।

इसमें यह भी कहा गया कि हम 33 परसेंट महिलाओं के लिए रिजर्वेशन करेंगे। इसमें यह कहा गया कि एस.टी. पॉपुलेशन का कम से कम 50 परसेंट रिजर्वेशन होना चाहिए। इसमें PESA Act की धाराओं को जगह देकर 2010 का झारखंड Act बना, वहां की विधान सभा को animation करने के कारण, वह कानून का रूप नहीं ले सका और संवैधानिक दृष्टि से अब यह कार्य पार्लियामेंट को करना है। इसी दृष्टि से लोक सभा ने इस बिल को पास किया है। मैं समझता हूं कि हम सब के लिए आवश्यक है कि झारखंड जैसे प्रदेश में समय पर

चुनाव हों, जो PESA Act के प्रॉविजन हैं, जिनको उन्होंने एड्रेस किया है, उनको लागू किया जाए। खासतौर से, इसमें सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट 50 परसेंट महिलाओं को रिजर्वेशन देने का काम है, उसका भी इस Act में प्रॉविजन किया गया है। मैं समझता हूं कि इस Act के पास होने के बाद, वहां पर शीघ्र ही पंचायत के चुनाव होंगे। जो फाइनेंस कमीशन का devolution होना है, वह पैसा भी उनको devolve होगा और जो डिप्राइव हो गए थे, पहले फाइनेंस कमीशन के पैसे उनको नहीं मिल पाए, वे इसको एड्रेस कर पायेंगे।

माननीय उपसभापति महोदय, संविधान की मंशा के अनुसार हमने यह कल्पना की थी कि self-governance का मॉडल बनेगा। स्टेट से यह अपेक्षा की गई कि स्टेट पंचायतों को self-governance का मॉडल बनाने के लिए power devolve करेगी। मैं आप सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि 73 वें अमेंडमेंट के बाद राज्य सरकारों को आगे आकर पंचायत को जो devolve करना था, वह power devolve नहीं कर पाए और जो हमारे मन में कल्पना थी कि हम self-governance का मॉडल बनायेंगे, वह मॉडल नहीं बना पाए।

अगर हम पंचायत की power को devolve नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूं कि सत्ता के विकेन्द्रीकरण की जो हमारी कल्पना है, वह साकार नहीं हो पाएगी। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर भी आकृष्ट करना चाहता हूं कि 11वें scheduled के जो subjects हैं, उसके बाद यह भी आवश्यक है कि हम सब स्टेट इस बात को देखें कि क्या ग्राम पंचायत में dedicated staff है। जो जानकारी उपलब्ध है, उसके अनुसार आज लगभग 2 लाख 33 हजार पंचायतों में से 70 हजार पंचायतें ऐसी हैं, जहां पर आज एक भी dedicated staff का आदमी उपलब्ध नहीं है। हिन्दुस्तान में लगभग 70 हजार पंचायतें ऐसी हैं, जिनके पास पंचायत घर नहीं हैं। हमने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में यह कल्पना की थी कि गांव का आदमी अपने रोजगार के लिए पंचायत में जाकर एप्लिकेशन देगा, उसको entitlement मिलेगा, जैसे, 15 दिन में उसे रोजगार नहीं मिलता है, तो वह रोजगार के लिए eligible होगा। जब वहां पंचायत घर ही नहीं है, तो मैं समझता हूं कि वह गरीब आदमी, जो अपने entitlement के लिए संघर्ष कर रहा है, उसके entitlement का काम ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा।

माननीय उपसभापति महोदय, आज आवश्यकता इस बात की है कि हम आई.टी. के माध्यम से, 50-60 साल में सत्ता के विकेन्द्रीयकरण की जिस कल्पना को साकार नहीं कर सके हैं, उसको साकार करने का समय आ गया है। पहली बार भारत सरकार ने money devolve की है, लगभग एक लाख 64 हजार करोड़ रुपये आज पंचायत लेवल पर devolve किए गए हैं। अभी 13वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई। 13वें फाइनेंस कमीशन में भी लगभग 70 हजार करोड़ रुपये हम devolve कर रहे हैं। हम untied fund के आधार पर, हम आशा करते हैं कि पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि इन चीजों पर आगे बढ़कर काम करेंगे। लेकिन scheduled areas के अंदर हमने पंचायत को ग्राम सभा के बारे में जो कंसेप्ट किया है, उसको यदि हम गांव में रहने वाले लोगों की traditions के hamlet को विलेज डिक्लियर नहीं करेंगे, तो हम न traditions को मेंटेन कर पायेंगे, न scheduled areas के अंदर जो हमारी कल्पना थी, उसको साकार कर पायेंगे।

उपसभापति महोदय, मैं अंत में, एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि आज आवश्यकता इस बात की है कि PESA Act जो है, उस PESA Act को गवर्नमेंट सही स्पिरिट से लागू करे, जिस तरह की वहां पर कल्पना land alienation के बारे में, मिनरल वैल्थ के बारे में की गई है, केवल मात्र उन कानूनों को बदलने के बाद ही, हम उन चीजों को ठीक ढंग से एड्रेस कर सकेंगे। यदि हमने PESA Act को ठीक ढंग से लागू नहीं किया, तो

उस गरीब आदमी के जो अधिकार बनते हैं, उन अधिकारों से हम उसको वंचित करेंगे। मैं आशा करता हूं कि हम इस बिल को पास करके झारखंड में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। झारखंड वह प्रदेश है, जहां पर आधे से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट ट्रायबल शैड्यूल्ड एरिया के अंदर आते हैं। वहां पर अवसर मिलता है, जाहं पर हम PESA Act को प्रभावशाली ढंग से लागू कर सकेंगे और देश के दूसरे प्रदेशों को एक मार्ग बता सकेंगे। हमने PESA Act और पंचायत Act का, जो पार्ट 9 हमने संविधान में इन्क्लूड किया, जो 11वां शैड्यूल्ड हमने बनाया है, उससे एक रास्ता आगे निकलेगा और हम पंचायत के सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ेंगे। माननीय उपसभापति महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपील करना चाहता हूं कि इस बिल पर विचार किया जाए।

The question was proposed.

श्री एस.एस. अहलुवालिया (झारखंड) **:** माननीय उपसभापति महोदय, मैं झारखंड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2010 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, वैसे तो यह विधेयक पंचायती राज अधिनियम, 2001 के उपबंधों के तत्सम करने के प्रयोजन के लिए और महिलाओं के पक्ष में पंचायतों में मुखिया के पदों पर 50 प्रतिशत से उन्नयन आरक्षण करने का उपबंध करने के लिए आवश्यक हो गया है।

इसीलिए झारखंड पंचायत राज अधिनियम, 2001 में संशोधन किया जा रहा है। यह बात सही है। यह बात सही है कि ऐसा एक विधेयक वहां राज्य सरकार ने बनाया था, किन्तु राष्ट्रपति शासन लगने के कारण वह विधेयक वहां की विधान सभा द्वारा पारित नहीं किया जा सका। अभी भी वहां विधान सभा को जीवित रखा गया है, चूंकि वहां राष्ट्रपति शासन है इसलिए यह केन्द्र सरकार के पास आया है। माननीय मंत्री जी ने बहुत से सवाल स्वयं उठाए हैं। वैसे तो पंचयाती राज एक जमाने से है। अगर आप ग्रीक एम्बेसडर मेगेस्थनिस की रिपोर्ट पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि 303 Before Christ, जब वे कोर्ट ऑफ चन्द्रगुप्त मौर्य में अपीयर हुए, उस टाइम भी उनकी सिटी काउंसिल पाटलीपुत्र द्वारा शासित थी और उनकी 6 समितियां थीं तथा उनमें 30 सदस्य थे, ये सभी पद निर्वाचित हुआ करते थे। खासकर के जहां पर आदिवासी इलाके हैं, वहां पर उनकी एक ट्रेडिशनल पंचायत होती है जो गांव के सुपीरियर, बड़े बुजर्गों को लेकर, एक पंचायत प्रणाली चलती है। हमारे धर्म, हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता आदि सब हमारे पंच प्रधान पर ही आधारित हैं। जो डेमोक्रेसी बाद में आई, तो उन्होंने इसको तरह-तरह से पेश करने की कोशिश की, किन्तु भारत में यह सभ्यता पुरानी है। खासकर झारखंड के लिए इस विधेयक का लाना और 50 फीसदी का लाना, एक बहुत ही अच्छा कदम है। केन्द्र सरकार के लाने से पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा और NDA द्वारा शासित प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, हर जगह के राज्यों ने अपने 50 प्रतिशत रिजर्वेशन का प्रावधान कर लिया है। आप देरआयद दुरुस्त आयद, दुरुस्त आए हैं, इसीलिए मैं इसका समर्थन करता हूं।...(**व्यवधान**)...

श्री नरेन्द्र बुढानिया (राजस्थान)**:** आपने क्या किया? ...(**व्यवधान**)... जाते-जाते किया। ...(**व्यवधान**)... राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है।...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: ये बता रहे हैं।...(**व्यवधान**)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: अरे भाई, राजस्थान में क्या किया, मुझसे न बुलवाओ तो बेहतर है। क्या तब हुआ और क्या अब हुआ?...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आप झारखंड पर बोलिए।

श्री एस.एस. अहलुवालिया: इसलिए मैं उस तर्क वितर्क में नहीं पड़ना चाहता। अगर ग्राम पंचायत की ancient history देखी जाए, तो बड़ी पुरानी है, किन्तु अगर नई हिस्ट्री देखी जाए तो वह

73rd and 74th अमेंडमेंट पर है। उसमें तत्कालीन प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी का बड़ा योगदान है। उन्होंने रूरल डेवलपमेंट को समझने की बहुत कोशिश की थी। उन्होंने पावर ब्रोकर्स को पावर को कॉरिडोर से एलिमिनेट करने की कोशिश की।...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: देखिए, आप इनको प्लीज़ बोलने दीजिए।

श्री एस.एस. अहलुवालिया: अगर मैं अच्छी बात भी बोलूं तो वह भी आपको पसंद नहीं है।...(**व्यवधान**)...

सुश्री मैबल रिबैलो (झारखंड): मैंने यह कहा है कि तब आप इस साइड में थे।...(**व्यवधान**)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: क्योंकि मैं चश्मदीद गवाह हूं, मैं इस सदन का सदस्य था और इसी सदन में वह विधेयक परास्त हो गया था। चुनाव होने के बाद इसको अंततः संविधान का रूप देने के लिए, कांग्रेस की ही सरकार थी और नरसिम्हा राव जी प्रधान मंत्री थे। इसको वह सारी ताकत देनी पड़ी। मेरे कहने का मतलब यह है कि इसको लागू करने के पीछे यह मंशा थी कि ऊपर से जो पैसा भेजा जाता है, वह नीचे गांव तक पहुंच सके। लोगों ने समय-समय पर यह समझने की कोशिश की कि गांव में जो पैसा आता है, वह कितना आता है? ग्रामीण यह जानना चाहते हैं कि हमारे गांव के विकास के लिए, उन्नयन के लिए कितना पैसा आया और किस योजना के लिए आया? 2005 में "सूचना का अधिकार" मिला है, पर उसके पहले यह कल्पना थी कि गांव की पंचायत के माध्यम से कम से कम यह पता लगेगा कि किस योजना में कितना पैसा आया है और गांव की पंचायत ही प्लानिंग कमीशन को भी लिखकर भेजा करेगी कि हमें इस योजना के लिए पैसा चाहिए। आज भी बहुत कमियां हैं। "सेंट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम" में पंजाब को जिस मद पर पैसा नहीं चाहिए, आप उसकी मद पर भी पैसा भेज रहे हैं, नागालैंड को जिस मद पर नहीं चाहिए, उस मद पर पैसा जा रहा है, लेकिन वहां खर्चा करने के लिए जगह नहीं है। यदि उसका एक आधार बना होता, तो बेहतर होता। आपने अभी सबसे बड़ी बात कही कि पंचायत में डैडिकेटिड स्टाफ नहीं है। यदि यह डैडिकेटिड स्टाफ नहीं है, तो इसमें किसकी कमी है? इसमें सरकार की दूरदर्शिता की कमी है। अमरीका में म्युनिस्पैलिटी के क्लर्क को पढ़ाने के लिए स्कूल चलते हैं, वहां ट्रेनिंग सैंटर हैं, क्योंकि अगर म्युनिसिपैलिटी को या कौंसिल्स को, विलेज कौंसिल्स या काउंटी कौंसिल्स को सही तरह से चलाना है तो उसकी जो इलेक्टिड बॉडी है, वह तो अपना काम करती है, किन्तु जो डैडिकेटिक स्टाफ है, उसको भी अपना काम करना है। हमारे यहां पर वह काम करने के लिए आपने क्या-क्या किया है? आपने राज्यों में उसके आधार पर, उस डैडिकेटिक स्टाफ को तैयार करने के लिए, उस मद पर कितना पैसा दिया है? आपने कहा कि पंचायत घर नहीं है। आपने आज तक यह कहा कि "सेंट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम" का पहला लॉट वहीं खर्चा होगा, जबकि सबसे पहले वहां की मजदूरी के माध्यम से पंचायत घर बनाया जाएगा। आप यह बनाइए। आपने गाइडलाइन में लिख दिया कि नरेगा में जो खर्चा होगा, उसमें कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं खड़ा होगा। अब इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि पंचायत घर बनेगा। आप पंचायत घर बना दो। दूसरा, आप पंचायत को, वह पैसा देगी, उस घर को मेन्टेन कर सके, उस बिल्डिंग की भी मेन्टेनेन्स कर सके। तीसरा, आप वहां पर डैडिकेटिड स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए एक करीकुलम तैयार करो और उनको दो। सर, झारखंड एक ऐसा राज्य है कि जब नवंबर, 2000 में यह बना था, तब हमने बड़े गौरव से कहा था कि this will become a model State for the country. मॉडल स्टेट बनेगा, and the richest in minerals. वह वाकई बहुत अच्छा बनेगा, किंतु आज वहां पर बहुत शोचनीय अवस्था है। सर, हर साल सिर्फ विकास का पैसा नहीं पहुंच सकने के कारण करीब सौ से डेढ़ सौ करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। विकास का पैसा इसलिए नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि पंचायत के चुनाव नहीं हुए हैं। आपने 12th कमीशन का उल्लेख किया है। The

Twelfth Finance Commission had mandated that Jharkhand should hold the polls first. तब पैसा देंगे। आपने कहा कि उसके लिए संशोधन करना जरूरी है, हम चुनाव कराएंगे। आप यह भी कर सकते थे कि ठीक है, फाइनेंस कमीशन का पैसा हम इसलिए खर्च करेंगे, यह पैसा इसलिए देंगे कि आप उसमें डैडिकेटिड स्टाफ तैयार करो और उसमें पंचायत की बिल्डिंग भी बना दो। तब तक उसकी तैयारी करके, उसमें संशोधन करके वहां चुनाव कराओ। 2001 में नोटिफिकेशन निकला, उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट ने बहुत सारी चीजें स्ट्रक ऑफ कर दीं। वहां की पॉप्युलेशन में, PESA Act को लेकर बड़ी दुविधा है। मेरे बाद, मेरे साथी, जो झारखंड से माननीय सांसद हैं, वे आपको उसके बारे में बताएंगे, किन्तु ओवर ऑल मैं बताता हूं कि अगर वाकई PESA Act को डील करना है, तो वहां के और लोगों की जो भावना है, आप उसको नजरअंदाज मत कीजिए। अब हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट की बात हुई। इस कोर्ट की लड़ाई में इतने साल निकल गए। मैं 2009-10 की मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की डिमांड फॉर ग्रांट्स की रिपोर्ट देख रहा था। उसके पेज नंबर 75 पर झारखंड के बारे में लिखा है। इसमें झारखंड के बारे में लिखा है, "The Panchayat election has not been held in the State due to the Court case pending in the Supreme Court. However, it is reported that there is a strong system of traditional Panchayats functioning in other areas in the form of *manki*, *munda* and *parhar* system. During 2005- 06, the State Government decided to allot Rs.50,000 each only to the traditional Panchayats in the absence of elected Panchayats, the issue of sending of united funds to Panchayats does not arise. TFC grants are not being given to Panchayats as elections of Panchayats have not been held."

सर, TFC grant क्या है? Tribal's Finance Commission के grant के बारे में यह 2008-09 की रिपोर्ट है। इसमें लिखा है, "From the data provided by the Ministry, of allocation of TFC funds, that during 2005-06, 2006- 07 and 2007-08, in different States, it is seen that the State of Arunachal Pradesh, Jharkhand, Sikkim and Tripura have not received TFC funds. And, then, during 2006-07 and 2007-08, funds were not released to the States of Arunachal Pradesh, Assam, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Nagaland, Meghalaya, Sikkim and Tripura. Various reasons like non-receipt of utilization certificate in case of Arunachal Pradesh due to non-holding of elections in Jharkhand, have been cited as the reasons for non-release of TFC fund to these States." आपने पैसा तो दिया ही नहीं। आपने सिर्फ एक rider लगा दिया कि पहले चुनाव करो, तब पैसा देंगे। आपने विकास की गति को रोक दिया। अगर आप यह पैसा देना चाहते हैं, तो वहाँ पर Block Development Officer (BDO) है, लेकिन आप लोगों को क्यों deprive करते हैं? लड़ाई कानूनी है। क्या 73rd Constitution Amendment करने वालों का सपना यही था कि वहाँ elected representative बैठेगा, तभी विकास आएगा, अन्यथा नहीं आएगा।

श्री राजनीति प्रसाद (बिहार): फिर पैसा किसको दिया जाएगा?

श्री एस.एस. अहलुवालिया: वहाँ पर बीडीओ क्या करता है? आज राष्ट्रपति शासन है, तो पैसा किसको जाएगा? आज राष्ट्रपति शासन है, आपने बजट पास किया या नहीं? क्या वहाँ सिर्फ तन्ख्वाहों के लिए पैसा दिया, योजनाओं के लिए पैसा नहीं दिया? योजनाओं का पैसा जाता है। राज्य सरकार में, जहाँ पर गवर्नर्स रूल हो जाता है, वहाँ पर पैसा जाता है। विकास के काम रुकते थोड़े ही हैं, विकास के काम आगे बढ़ते हैं।

1.00 P.M.

हमारे झारखंड को इससे क्यों वंचित रखा गया? मंत्री महोदय, कल वहाँ चुनाव हो जाएगा, तो हमारा जो backlog पड़ा है, क्या वह सारा का सारा backlog हमारी elected body को देंगे, ताकि वह खर्च कर सके,...(**व्यवधान**)... certainly with interest. Would they give so that they can build their Panchayat-level development at par with the rest of the country? क्या यह होगा? यह मेरी माँग है, यह होना चाहिए। हम deprived क्यों रहें? क्या हम भारत माता के बच्चे नहीं है? आपने एक lacuna लगा दिया कि आपने चुनाव नहीं किया, इसलिए पैसा नहीं देंगे। अगर चुनाव नहीं किया, तो गाँवों में बैठा जो गरीब आदिवासी है या पिछड़े वर्ग का है या कोई अल्पसंख्यक वर्ग का है या कोई बहुसंख्यक वर्ग का है, जो गरीब है, जिसको सड़क नहीं मिल रही है, जिसको कल्वर्ट नहीं मिल रहा है, जिसको स्कूल नहीं मिल रहा है, जिसको हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है, जिसको मवेशियों के इलाज के लिए डाक्टर नहीं मिल रहा है, जिसको सोलर लैंप नहीं मिल रहा है, जिसको और सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो रही हैं, उसका क्या कसूर है? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? चुनाव नहीं हुए, उसका कारण यह है कि अपने दो कानूनी लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं और deprive हो रही है आम जनता। महोदय, उस आम जनता को deprive करने से बचाने की जरूरत है। यही कारण है कि हमारे जितने भी पिछले backlog हैं, उनको clear किया जाए।

महोदय, इस बार की रिपोर्ट है, Annual Report of Panchayati-raj 2009-10. उसके पैराग्राफ 12.5 में लिखा है, "As per the latest position, out of Rs. 22,000 crore recommended by the 12th Finance Commission, the actual release has been around Rs. 18,294.08 crore as on 28th February, 2010." इसमें भी झारखंड नदारद है, क्योंकि तब तक आपने वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद आप हमारे पास बजट लेकर आए। बजट में सारे प्रावधान किए, किन्तु आप यह कह देते...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ahluwaliaji, it is one o'clock. Will you conclude your speech or...

SHRI S.S. AHLUWALIA: I will continue after lunch.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: See, I don't mind if you conclude your speech...

SHRI S.S. AHLUWALIA: I will speak for some more time after lunch.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am saying this because you have one more speaker from your party to speak. You have already taken 15 minutes. The total time allotted to your party is 25 minutes.

SHRI S.S. AHLUWALIA: I will continue my speech after lunch. I will not take much time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. The House is adjourned for lunch, for one hour.

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House reassembled after lunch at two minutes past two of the clock,
MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Ahluwalia to continue his speech.

श्री एस.एस. अहलुवालिया: उपसभापति महोदय, मैं लंच ब्रेक के पहले झारखंड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2010 पर बोल रहा था। मेरा ऐसा मानना था और मैंने अपनी जो माँग रखी है कि हमारे राज्यों के विकास के काम को रोक के रखा है। 12th Finance Commission ने अपनी रिपोर्ट दी कि हम तब तक पैसा नहीं दे सकते जब तक वहाँ चुनाव नहीं होंगे। उन्होंने यह बयान नहीं दिया है, बल्कि सरसरी तौर पर एक जवाब दिया है, किन्तु सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि हमारे इलाके में तीन तरह के खनिज बहुत ज्यादा पाये जाते हैं- कोयला, बॉक्साइट और माइका। इसके साथ ही वहाँ iron ore भी पाया जाता है। इसके लिए उस इलाके में खनन के कारण जो सडकें वहाँ के देहाती इलाकों या ग्रामीण इलाकों में गुजरती है, वे खराब हो रही हैं। जब उनको हम कहते हैं कि आपके कारण ये सड़कें खराब हो रही हैं तो वे कहते हैं कि नहीं, यह हमारी सड़कें नहीं हैं बल्कि पंचायत की सड़कें हैं। खनन विभाग आप का है, कोयला आप ही का है, अभ्रक को आप ही कंट्रोल करते हैं और वहाँ जो उसकी मूवमेंट होती है, iron ore आदि तो हवाई जहाज से जा नहीं सकता, वह ट्रक या रेल के माध्यम से जाता है। वह रेल के माध्यम से कम और ट्रक के माध्यम से ज्यादा जाता है। जब यह ट्रक के माध्यम से जाता है तो यह सड़को को खराब करता है और वातावरण को भी प्रदूषित करता है। जिन चीज़ों का काम पंचायत के माध्यम से होना चाहिए, उन सारी चीज़ों से झारखंड वंचित रह जाता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से गुजारिश करता हूँ कि मंत्री महोदय, आप पंचायती राज का यह जो संशोधन लाए हैं उसमें हमारा पूर्ण समर्थन है। हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन इसके साथ एक राइडर भी है। वह राइडर यह है कि PESA कानून पर आप गौर फरमाएँ। PESA कानून वहाँ अंतर्द्वंद्व, अंतर्कलह या कोई झगड़ा पैदा न करे, इस पर भी ध्यान दें।

तीसरा यह है कि जितना हमारा बैकलॉग है, जिससे हमको वंचित किया गया है, जिससे हमारा विकास रुका हुआ है और जिस कारण से हम दूसरे राज्यों से पिछड़े हुए हैं, वह सारा पैसा सूद समेत हमको दिया जाए। मैं तो पैसा ही माँग रहा था, किन्तु पश्चिमी बंगाल के प्रशांत दादा जो हमारे पड़ोसी हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, साथ में सूद भी माँग लो। मैं सूद के साथ मांग रहा हूँ और मैबल रिबैलो जी भी कह रही हैं कि ये सूद देंगे।

सुश्री मैबल रिबैलो: मैं भी आपके साथ हूँ।

श्री एस.एस. अहलुवालिया: अच्छा, आप भी साथ हैं।...(**व्यवधान**)... किन्तु इस पैसे के साथ एक और राइडर लगा दीजिए। क्योंकि अगर यह पैसा एक बार में दे दिया तो फिर वह स्वर्णरेखा नदी के साथ बह भी जाएगा। वह मत बहे, उससे पंचायत का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वह तैयार हो, जो जरूरत है, वह तैयार हो।

उपसभापति महोदय, हमने गाँवों और देहातों में पंचायतें बना दीं। हर एक गाँव में विकलांग बच्चे हैं या परिवार में कोई एक विकलांग सदस्य है, किन्तु उन विकलांग बच्चों के अभिभावकों को यह नहीं पता कि उन बच्चों को कैसे डील करना है। अगर Rehabilitation Council of India का कोई representative गाँव में visit करता है तो वहाँ उसके बैठने के लिए जगह नहीं है। वहाँ उसे अपना exhibition लगाने के लिए भी जगह नहीं है। मैं कहता हूँ कि आप उसे बनाइये। अगर वहाँ मवेशियों का डाक्टर जाता है तो उसको एक छावनी देने की भी जगह नहीं है कि वहाँ पर उसका काम हो सके।

महोदय, अन्य चीजों को तो छोड़िए, वहाँ एक शमशान बनाने के लिए, ग्रेवयार्ड को कंट्रोल करने के लिए तो बहुत पैसे मिलते हैं, किन्तु शमशान, जहाँ गैर-मुस्लिम या गैर-ईसाई लोग अपने पूर्वजों या सदस्यों के दाह-संस्कार के लिए जाते हैं और बड़ी मुश्किल से वे कफ़न और लकड़ी जुटाते हैं, अगर आंधी, तूफान या बारिश आ जाए तो उसको रोकने की वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। यह पंचायत के माध्यम से हर जगह होता है और यह

होना चाहिए, पर वह सारा पैसा आप हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए दीजिए। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और आपसे मांग करता हूँ कि आप इन सारी चीजों को मानें, ताकि हमारा राज्य प्रफुल्लित हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ।

MS. MABEL REBELLO (Jharkhand): Sir, I stand here to support this Bill. I endorse most of the issues raised by my brother, Shri Ahluwalia.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Which are the issues you don't endorse?

MS. MABEL REBELLO: Although he belongs to a different party, Sir, he was with us. He has gone there temporarily and that is why he remembered my great leader, Shri Rajiv Gandhi. He said, "यह स्वर्गीय राजीव गांधी जी का सपना है" and I fully endorse his view. Today in this country, we have got Panchayats all over except Jharkhand. It is because of the dream and desire of Shri Rajiv Gandhi, a Prime Minister whom we lost so early, who has brought in electronic age today. If, today, we are using computers and we are going ahead and so many jobs are being created, it is all because of that great man, Sir, and it is his dream to bring in Panchayats in our country and the evolution of power. Sir, The Jharkhand Panchayat Raj (Amendment) 2010 has three distinct provisions. Firstly, when the Bill was passed 33 per cent reservation was given to women but this Bill brings 50 per cent reservation in a State like Jharkhand. This Bill is also giving 100 per cent reservation for chairpersons of three-tiers, *i.e.* at district, at Janpath and at Panchayat level in scheduled areas and it also dereserves the posts of Vice-Chairmen in all these three tiers. So, this is the specialty of this Bill. Ahluwaliaji, before me, spoke why this Bill has to be brought here. Otherwise, this Bill should have been passed in normal course in Vidhan Sabha of Jharkhand. Sir, Jharkhand does not have a Vidhan Sabha. It is under suspended animation. We have to bring in here. Sir, it is almost 32 years, Jharkhand is the only State in the country which does not have Panchayati Raj elections and this is the apt time for us to pass this Bill. I know all the Members who are here are one with us and I know this Bill will be passed unanimously, without any dissent because they all share the concerns of Jharkhand State. Jharkhand is one State which is least developed. It is a State which is fighting with various problems.

Although it has got 40 per cent of mineral resources of this country, almost 80 per cent people are Below Poverty Line. There is hardly 6 per cent of irrigation. There are places in block where 40 per cent area does not have a single road. You cannot even take an electric pole there! There are such areas. If we are talking today about Jharkhand, Sir, out of 24 districts, 20 districts are Naxal-affected. It is because of non-development. Earlier, it was a part of Bihar. Bihar considered it as a colony. After that, ten long years of Jharkhand formation, we did not have good political leadership. There is no political stability and, because of that, there is hardly any development. Whenever a President's Rule is imposed, there is some semblance of

discipline and some semblance of development. Now, we are under the President's Rule and things are happening. I hope, during this President's Rule, we will be able to hold Panchayat elections and have Panchayats in place.

Now, I come to the issue that Mr. Ahluwalia has raised. Sir, I want to take that issue further. Two Finance Commissions *i.e.*, 11th and 12th Finance Commissions have not given money to Jharkhand. Sir, the 11th Finance Commission owes Jharkhand Rs. 241 crores.

श्री एस.एस. अहलुवालिया: मैबल जी, आपने कहा मैं वहां temporary हूं। मैं आपको ज़रा बता दूं कि...(**व्यवधान**)... Please, yield for a minute ***...(Interruptions)...*** Listen please. I must clarify to what you have said.

MS. MABEL REBELLO: Okay, I am yielding. You speak.

SHRI S.S. AHLUWALIA: I was elected as a Member of Rajya Sabha from Bihar in 2000. In 2000 November, the Bill was passed and there is a provision that one Member, out of two Members, has to opt for Jharkhand. I opted for Jharkhand. And, Jharkhand was a part of South Bihar. I am not temporary. I am a resident of Bihar ***...(Interruptions)...***

MS. MABEL REBELLO: I said that you were in Congress earlier. You are a product of Congress***...(Interruptions)...*** That is all I have to say. I am not disputing whether you belong to Bihar or Jharkhand at all ***...(Interruptions)...*** I know you since you were in Congress ***...(Interruptions)...*** We had worked together in Nagaland. We had worked together in Bikaner. We had worked together in Mizoram ***...(Interruptions)...***

SHRI S.S. AHLUWALIA: As far as going to State temporarily is concerned, I would say that she came from Madhya Pradesh to Jharkhand***...(Interruptions)...***

श्रीमती वृंदा कारत (पश्चिम बंगाल): सर, यह एक ही परिवार के बीच झगड़ा है। इनका दिल कांग्रेसी है, लेकिन अभी शरीर से ये BJP में हैं...(**व्यवधान**)... बहुत सारे ऐसे हैं, कांग्रेस का दिल और...(**व्यवधान**)...

सुश्री मैबल रिबैलो: ये कभी वहां...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आप बोलिए, आप subject पर आइए...(**व्यवधान**)...

सुश्री मैबल रिबैलो: ये दिल से हमारे साथ हैं, हमारे भाई हैं।

Coming to the 11th Finance Commission, I would say that it had deprived Jharkhand of Rs. 241 crores, because Panchayat elections did not take place. The 12th Finance Commission deprived Jharkhand of Rs. 482 crores. If you add together, a total sum of Rs. 723 crores has been denied to Jharkhand, because Panchayat elections did not take place.

Sir, Shri Ahluwalia spoke extensively as to why Panchayat elections could not be held. It is because of litigation and since the case of sub judice, elections in Jharkhand could not be held. So, you cannot deprive the poor people of Jharkhand of their due share. So, I demand here that Rs. 723 crores be given to Jharkahnd State as soon as it holds the Panchayat elections and Panchayats are in place. And, as Ahluwalia has said, I would go further and say that even

interest should be given to it, because it is a poor State. It requires this. Why is this money given? This money is required to build physical infrastructure in Panchayats and also to develop human resources. Therefore, I demand that Rs. 723 crores, as soon as Panchayat elections are held and Panchayats are in place, be given immediately by the Government of India. We all MPs together will go to the hon. Prime Minsiter. The hon. Minister for Panchayat Raj is sitting here. I would like to request him to come along with us and lead us to the hon. Prime Minister and help us to get our due. ...*(Interruptions)*... As a Cabinet Minister, he can do it later. But he should show his physical presence and his intent before the whole country that he is supporting Jharkhand. He should be able to revoke the injustice done to Jharkhand and give us justice. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI BRINDA KARAT: She is asking and laughing too. ...*(Interruptions)*...

MS. MABEL REBELLO: What do you mean? I am asking the Minister. Why are you feeling so uneasy, Brinda*ji*. I wholeheartedly support this Bill. That is why I am fighting for it. Brinda*ji*, you please don't impute...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You need not respond to anybody else. ...*(Interruptions)*... Don't get provoked. ...*(Interruptions)*... A politician should not get provoked. ...*(Interruptions)*...

MS. MABEL REBELLO: Sir, does only Brinda*ji* has a right to smile, laugh and also speak vehemently? We also have the right. Please don't deny us, Brinda*ji*. I am equally a Member like you. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: आप subject पर बोलिए, आपका वक्त समाप्त होता जा रहा है।

MS. MABEL REBELLO: Sir, she is provoking me. What should I do? ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You don't get provoked. ...*(Interruptions)*...

MS. MABEL REBELLO: Sir, many States have held panchayat elections. But in many States, the panchayats are not performing the way they should perform. But there are also some States, which are performing very well, like, the State of Kerala; not because of that, but because of us also. You see, we also ruled there, alternate Government. Forty per cent finances are being given to panchayats. I have gone and seen some of the panchayats, where women are district panchayats heads. They are doing wonderful work. They are also collecting a lot of cess through mineral sand, through *gitty*. They are having their own resources. They are building all sorts of infrastructure that is required. It is very good to see them working so wonderfully. So, it should happen all over. In a State, like, Jharkhand, one of the reasons why naxals are there, all over, is because of the void that is there as we do not have panchayats. And, if panchayat functions are in place, fifty per cent of naxals will disappear after the panchayat elections because a lot of them are sympathizers. They will come into the main stream. They will be

instrumental in bringing a lot of normalcy. So, we need these panchayats elections as early as possible. But, what is happening? I will give you an example of Jharkhand. Jharkhand has just one panchayat sewak in panchayats. And, he also is a half-educated, an illiterate fellow. He will not be able to be a good official functionary. I would request that we should recommend and the Planning Commission should consider that for every panchayat they should give effective 3-4 staff members so that panchayats became really an effective instrument to deliver goods to bring in infrastructure and carry on a lot of activities. Like in Chhattisgarh, panchayats are looking after the PDS. Panchayat Presidents are very effectively tackling the TDS. These types of things should happen. But, for that, you need support, you need training. All that should be given to us. We have got a Federal System — the Government of India and the State Governments. The third tier of our democracy should be district panchayats. The district panchayats should have all such powers that are required to look after the district development works. They should be able to plan things; they should be able to execute things; they should be able to look after their people. This sort of thing should happen. And, the Planning Commission, I would say, should seriously think about it and bring in this third tier government in our country. For that, we need to give them budgetary support. We also need to give them good staff so that they could look after themselves. Sir, what happens is this. The State Government officers who are sitting in the State capitals cannot imagine where roads are required, where drinking water is required unless their attention is drawn to that. Therefore, if the Government at the District level has all the functionaries/facilities, then, they will function in a better way, because they know the district well.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have exhausted your 12 minutes. ... *(Interruptions)*...

MS. MABEL REBELLO: Still, I have time, Sir. My Party has got time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your Party has 35 minutes. I don't mind if you take all the 36 minutes. ...*(Interruptions)*...

MS. MABEL REBELLO: I won't take all the 36 minutes, Sir. Don't worry about it. Therefore, I suggest, Sir, that we should have a commission to look after this. I would like to know whether we can have a District Government. If we can, then, how will it function? The hon. Minister is here. He should take up this matter. This can bring about a real revolution in the country. Sir, about 70 per cent people in our country live in villages. It is they who require the support. If Panchayats perform as a District Government, it will bring about a real revolution which was the dream of our the then Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi. Why did he want Panchayat elections? Sir, he wanted to help the poorest of the poor. He wanted to help the villagers. ...*(Interruptions)*...

Sir, in Chattisgarh, panchayats have many powers. They manage MGNREGA, they manage food distribution and they also manage BPL cards. It is they who know as to who come under BPL category and who come under APL category. Even in Jharkhand, a lot of APL families have BPL cards. They are depriving the poorest of the poor. Because of this, the poor people do not get the food facility. They do not get kerosene. A lot of injustice is being done to the poorest of the poor because of this. So, I request that Panchayat should be really empowered. They should be empowered financially. All the panchayat functionaries should be imparted training. They should be given proper exposure. They should be given proper financial powers. They should get budgetary support. Also, they should have powers to collect resources from mines, minerals and forest products. All these things should be given to them, so that they are able to do their job well*...(Interruptions)...*

Then, Sir, I demand that since Jharkhand is the least developed State, like Himachal, Jammu and Kashmir and Uttaranchal, it should be given a special status, so that the poor people do not have to pay income tax — I am not talking about the corporate houses— excise and sales tax. All exemptions should be there.

Then, lastly, Sir, Jharkhand accounts for only six per cent irrigation. A lot of dams have been under construction for the last 20, 30, 40 years. I demand a special package of Rs.20,000 crores to complete all these dams, so that Jharkhand can have at least 20 per cent irrigation and the sufferings of the people because of the four years drought, they are faced with, are mitigated. This is what I ask for. Thank you.

श्रीमती झरना दास बैद्य (त्रिपुरा): धन्यवाद उपसभापति महोदय, झारखंड पंचायत राज (अमेंडमेंट) बिल, 2010, जो सदन में विचार के लिए आया है, मैं उसका समर्थन करते हुए यह कहना चाहती हूं कि पंचायत एक important political institution है। जब 73वां अमेंडमेंट ऐक्ट पास हुआ, तब से हम लोगों ने देखा है कि हमारी स्टेट त्रिपुरा में, पश्चिमी बंगाल में और केरल में यह पहले लागू हुआ है। पंचायत राज के इलेक्शन होने के बाद जो महिलाओं के लिए 1/3rd रिज़र्वेशन हुआ, महिलाओं के attend के बाद हम लोगों ने देखा है कि वहां पर ज्यादा democracy आती है और जो पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम में सभी स्कीम्स implement की जाती है।

[उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) पीठासीन हुए]

झारखंड के संबंध में मैं यह कहना चाहती हूं कि यह पहले बिहार के तहत था और सन् 2000 में वह बिहार से separate हुआ। आज दस साल हो गए हैं, अभी तक वहां पर election क्यों नहीं हुए? क्या झारखंड में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो stable government दे सकती हो? हम लोगों ने देखा है कि वहां पर 7 चीफ मिनिस्टर्स बदल चुके हैं और अब वहां पर President's Rule चल रहा हैं। सर, हमें अभी तक याद है, 1980 में हमारी स्टेट में जो उग्रवादी थे, टी.एम.पी. उग्रवादियों ने दंगा किया था। तब हमारी स्टेट में ज्ञानी जैल सिंह जी गए थे। सर, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो elections नहीं चाहते, democracy नहीं चाहते - स्टेट का कोई फायद हो, लोगों को कोई फायद हो, गरीब लोगों को फायदा हो, यह नहीं चाहते। हम लोग भी सिविल में थे, पेरेंट्स के साथ आ गए। तब हम लोगों को क्या समझाया? उन्होंने कहा कि तुम ज्ञानी जैल सिंह जी से

केवल राष्ट्रपति शासन मांगो, और कुछ नहीं मांगो। ज्ञानी जैल सिंह जी इतने अधिक ज्ञानी थे, वे समझ गए। कई लोग उन्हें सिखा रहे थे, वे राष्ट्रपति शासन मांग रहे थे, सभी लोग मांग रहे थे कि हमें राष्ट्रपति शासन चाहिए, यहां पर President's Rule होना जरूरी है। तब ज्ञानी जैल सिंह जी ने पूछा कि राष्ट्रपति शासन से क्या होता है? क्या खाना मिलता है, कपड़ा मिलता है, स्कूल जाने के लिए तुम्हें किताबें मिलेंगी? कुछ नहीं मिलेगा। डेमोक्रेसी अच्छी है। वहां पर सरकार के रहने से, स्टेट गवर्नमेंट के रहने से, पंचायत रहने से, ए.डी.सी. रहने से - fifth schedule हो, sixth schedule हो - ट्राइबल लोगों के लिए जो एरिया होता है, वहां पर डेमोक्रेसी होने से सब कुछ मिल सकता है, implementation हो सकता है। महोदय, झारखंड में इतने सारे resources हैं, इतने सारे minerals हैं कि उन्हें पूरे देश को बांट सकते हैं। वहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, सब कुछ है। वहां पर जो जनता है, उनको अगर डेमोक्रेसी नहीं मिलेगी तो क्या होगा? जो स्कीम्स हैं, जैसे अन्त्योदय अन्न योजना है, अन्नपूर्णा है, NREGA है, उन पर काम कैसे होगा? लोग भाग नहीं लेंगे। अभी वहां पर President Rule चल रहा है, उससे क्या होगा? हम जब छोटे थे, तब इस बारे में सुनने से भी डरते थे कि अब मिलिट्री आएगी, पुलिस आएगी, और कुछ नहीं आएगा। वहां पर जो स्कीम्स हैं, उन्हें implement करने वाले जो अधिकारी होते हैं, वे अधिकारी भी नहीं आते हैं, पंचायत में या कहीं भी नहीं आते हैं। आज जो माओवाद की समस्या है, उसके पीछे भी किसी न किसी का हाथ है। हम लोगों ने अपनी स्टेट में देखा है कि आज वहां पर इतनी democracy है कि हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। 90 प्रतिशत महिलाएं, जो social audit होता है, जो स्कीम्स implement होती हैं, वह resolution लेने के लिए हम लोग पंचायत में आते हैं। रिजोल्यूशन लेते हैं, डिमांड करते हैं वहां से कि क्या-क्या काम करना है, कहां-कहां करना है। हम लोग तो यह जानते हैं कि पंचायत से स्टेट का को-रिलेशन है, पंचायत नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर सकती। वहां पंचायत समिति है, जिला परिषद है। जो काम पंचायत समिति या जिला परिषद नहीं कर सकती, वह स्टेट गवर्नमेंट करेगी, लेकिन रिजोल्यूशन पंचायत में होगा, पंचायत में जनता करेगी। सर, करप्शन इतना हुआ है कि आज इसमें मंत्री भी जेल जा रहे हैं। यह शर्म की बात है। इस बारे में हम लोग कुछ नहीं सोचते हैं। आज अरुणाचल प्रदेश में भी एक एक्स-मिनिस्टर पकड़ा हुआ है। यह ऐसा कैसे होता है? चीफ मिनिस्टर भी पकड़े जाते हैं और जेल में जाते हैं। ऐसा झारखंड में भी हुआ है। वहां पर एन.डी.ए. सरकार भी थी, वहां पर यू.पी.ए. भी थी, तब भी सरकार नहीं चला सके। आज वहां विधान सभा है, सर, झारखंड में पंचायत इलेक्शन तो होगा ही, यह होना चाहिए लेकिन मैं यह मांग करती हूं कि झारखंड में असेंबली इलेक्शन भी होना चाहिए, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट भी बननी चाहिए। वहां अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनेगी तो कोई भी कम ठीक ढंग से नहीं होगा। जो माओत्से की बात है, हम लोगों ने भी देखा है कि केरल में अभी अक्तूबर में पंचायत इलेक्शन होगा। वहां पर महिलाओं को 50 परसेंट रिजर्वेशन के बारे में बताया है। इसमें पोस्ट भी है। इसमें वाइस प्रेसीडेंट, वाइस चेयरमैन और स्टेंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन है, उनका भी रिजर्वेशन होना चाहिए।...(**समय की घंटी**)... सर, एक मिनट।

रिजर्वेशन नहीं होने से क्या होता है, वे जो लोग आते हैं, इतना भी नहीं जानते देश के बारे में, रूल्स के बारे में। वाइस चेयरमैन इतना ताकत वाला होता है, जो औरत चेयरमैन बनती है वह कुछ नहीं कर सकती है, इम्प्लीमेंट करने के लिए वाइस चेयरमैन चला जाता है। इसलिए इसमें भी रिजर्वेशन होना चाहिए। जहां वाइस चेयरमैन पर महिलाओं का रिजर्वेशन होगा, वहीं पर स्टेंडिंग कमेटी के चेयरमैन का भी रिजर्वेशन होना चाहिए। सर, लास्ट में, मैं इस बिल का समर्थन करती हूं लेकिन यह कहना चाहती हूं कि झारखंड में जो आज चल रहा है, करप्शन भी चल रहा है, इसलिए सब को काम में लगाने के लिए, जनता के हित के लिए वहां पर डेमोक्रेसी होनी चाहिए। हमारे पूरे देश मे डेमोक्रेसी है, तो झारखंड में क्यों नहीं है। तो झारखंड में भी यह होना चाहिए।

हमने झारखंड में सोशल जस्टिस स्टेंडिंग कमेटी के बारे में दिया है। झारखंड में ट्राइबल को पत्ता नहीं दिया गया। अभी जो फोरेस्ट राइट एक्ट हुआ है, वह किसलिए हुआ है? त्रिपुरा तो कर सकता है, जबकि वहां पर ज्यादा रिसोर्स भी नहीं है, तो झारखंड क्यों नहीं कर सकता है और वहां अभी सर्वे ही हो रहा है इसलिए वहां पर डेमोक्रेटिकल सिस्टम लागू करने की जरूरत है। धन्यवाद।

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA (Orissa): Sir, I rise to support this Bill and support my friends, Shri Ahluwalia and Ms. Mabel Rebello, when they demand that funds amounting to Rs.723 crores, which were not given to them because elections were not held, must be given to them, it is not fair to deny funds needed by people just because elections to Panchayat bodies could not be held due to some reasons.

My great leader, Shri Biju Patnaik, ensured that Orissa was one of the first States in 1961 to bring in Panchayati Raj, and he declared at a huge public meeting with all the *Sarpanchs/Pramukhs* of the State present that just as he was the Chief Minister, they were the Chief Ministers of their own *Panchayats*. He told them to treat themselves as such, and also said that all the officers must treat them as such. I was a student then, one year before I got into the service, and we were critical why the Chief Minister was trying to pass on something to people who might be illiterate, semi-literate, could not do their jobs properly. But, that realisation about the potentialities of our own citizens, our brothers in rural areas had not come to us and Shri Biju Patnaik was ahead of his times. A year before the Constitution Amendment, he made reservation for women in *Panchayats* and *Nagar Palikas*. So, it's a proud moment that 50 per cent reservation has been provided which should have been done long ago and I must say that this Government must take notice of this fact. The Government has to take notice that they have to provide 50 per cent reservation to women in State Legislatures and the Parliament. It should not be 30 per cent or 33 per cent. Women are half of the population. The half of the population must get its rights without any dilution.

There is a need for relook at PESA. Shri Ahluwalia mentioned about it. There is a problem. Wherever we go in the Scheduled Areas where there is even 20 per cent tribal population, it is incumbent under PESA that the *Sarpanch* must be a tribal, or, the *Panchayat Samiti* Chairman must be a tribal. It's a very difficult provision. I myself have been dedicated to the cause of tribals. But, here, I don't like the kind of social conflict that is coming up. That has to be ended somehow and we must find a solution.

There are only one or two small things. Ms. Mabel raised the issue of special status for Jharkhand; special package of Rs.20,000 crores. First, I thought she was demanding a special category status. I would support her any day. Orissa, Jharkhand and Chhattisgarh must together get special category status. We have been demanding this for years. Special package of Rs.20,000 crores - No. As I pointed out in this House a couple of days ago, we have lost on account of non-revision of royalty on iron ore alone, forget coal. Had we got 20 per cent royalty, we would have got Rs.50,000 crores in five years. You would have got Rs.30,000 crores. And,

Chhattisgarh would also have got almost as much. Now, if half of that money is given back as compensation to us, then, it will be our right, not begging before the Centre. That is what I would urge upon my friends from Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Bihar, West Bengal, Rajasthan and Karnataka should do.

I have one small point. In the whole process of Gandhis, this Gandhi, that Gandhi, we are forgetting the Father of the Nation, Mahatma Gandhi. He said, "Revive the entire *Panchayat* system." He was committed to it. Now, what did he want? He did not want this *Gram Panchayat* which was put up on the basis of the recommendations of Balwant Rai Mehta Committee. He wanted *Panchayat* of thousand of years in India; make every village a *Panchayat*. Then, I would even go to the point of saying that have direct democracy in the village in electing the *Panchayat* and thereafter, have indirect democracy for *Panchayat Samiti*, *Zilla Parishad* and may be for the State Legislatures. Thank you.

श्री आर.सी. सिंह (पश्चिमी बंगाल): सर, मंत्री महोदय, झारखंड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2010 लाए हैं, मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं समर्थन के साथ यह भी कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय, हाउस में यह भी निर्णय करें कि वे इसको इम्पलीमेंट कब करेंगे, कहीं यह अनिश्चित कालीन न हो जाए। क्योंकि झारखंड में 32 साल पहले पंचायत चुनाव हुआ था और 32 साल से वहां पर कोई पंचायत चुनाव नहीं हुआ है। हम सभी लोग जानते है और पूरा हिन्दुस्तान जानता है कि वहां के लोग बड़े सीधे तथा सरल हैं और अपने काम को बखूबी अंजाम देने वाले हैं। एक बार अगर उनके दिमाग में कोई काम बैठ जाता है, उनकी समझ में आ जाता है, तो वे उससे भटकते नहीं है। उनका हक छीना गया है। अगर इन 32 सालों में वे पंचायत के माध्यम से काम करते तो, वे गांवों को और बेहतर बना सकते थे। हालांकि उनकी अपनी एक पंचायत है और गांव में एक मुखिया होता है, वह उनकी सभी समस्याओं का समाधान करता है और उनका यह तरीका आदि युग से चला आ रहा है। अगर उनको कुछ इमदाद मिली होती, कुछ हक मिला होता, तो शायद वे गांव को और बेहतर बना सकते थे। मैं माननीय मंत्री जी को दोबारा बधाई देता हूं कि वे यह बिल लेकर आए। मुझे इसके बारे में एक बात यह कहनी है कि उप मुखिया पर उप सहसभापति या जिला परिषद् के जो कर्माध्यक्ष होंगे, इनका रिजर्वेशन इसमें नहीं दिया है। इनके लिए भी रिजर्वेशन देने की जरूरत थी। यह हमारी समझ नहीं होनी चाहिए कि वे अपना काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाए कि वे अनपढ़ हैं, पढ़े-लिखे नहीं हैं, तो हमारी यह धारणा कब तक रहेगी? इसलिए उनके ऊपर भी जिम्मेवारी दी जानी चाहिए और इस विधेयक में इस बात को जोड़ना चाहिए कि उनके लिए भी रिजर्वेशन दिया जाए। इन्होंने कहा है कि Post of उपप्रधान की बता उठा देंगे, राज्य से बात करेंगे, इसको क्लियरली संविधान में जोड़ना चाहिए। चाहे वह पोस्ट पंचायत की हो, ब्लॉक की बात हो या जिला परिषद् की, तो इसमें उनका रिजर्वेशन हो जाना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए विशेष बधाई देता हूं कि इन्होंने झारखंड में महिलाओं के रिजर्वेशन का प्रावधान किया है। हम लोग बहुत दिनों से कह रहे थे कि महिलाओं का रिजर्वेशन 50 प्रतिशत हो और कहीं-कहीं हुआ भी था। मंत्री जी ने झारखंड में जो प्रावधान किया है, मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूं। इन्होंने महिलाओं का रिजर्वेशन देने के लिए एक बहुत ही अच्छा काम किया है।

सर, मैं एक बात और कहना चाहूंगा विधेयक के 20 नम्बर की धारा-67 में लिखा है, "राज्य निर्वाचन आयोग, in consultation with the State Government...(**समय की घंटी**)... सर, मैं एक मिनट से ज्यादा

समय नहीं लूंगा। वह स्टेट गवर्नमेंट जो खुद अस्थाई है, उसके consultation पर निर्वाचन आयोग अपना काम करेगा, इसलिए निर्वाचन आयोग को पूरा विश्वास रहे कि यह निर्वाचन की सारी प्रक्रिया अपने अधीन कर सकता है, करे। So, 'in consultation with the State Government' का प्रावधान उसमें न रखा जाए। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देते हुए, इस विश्वास के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि पंचायती राज का चुनाव करवाएंगे तो अगला कदम खुला जाएगा और वहां स्टेट गवर्नमेंट भी बनेगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बृजलाल खाबरी (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे झारखंड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2010 पर बोलने का मौका मिला है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने दस वर्ष पूरे होने के बाद झारखंड में पंचायत राज विधेयक जैसे महत्वपूर्ण काम को अंजाम देने के बारे में सोचा है।

महोदय, झारखंड राज्य नवम्बर, 2000 में बना था और उस समय मैं 1999 का लोक सभा चुनाव जीतकर, लोक सभा मैम्बर बनकर आया था। तत्कालीन तेरहवीं लोक सभा चल रही थी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे और उनकी देख-रेख में झारखंड को अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। मान्यवर, यह सभी लोग जानते हैं कि झारखंड बिहार का हिस्सा था और बिहार से अलग हुए यह ग्यारहवां साल चल रहा है। इन ग्यारह सालों में लगभग दो बार पंचायत के चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन एक बार भी नहीं हुए हैं। अभी जैसा कि हमारी साथी ने बताया कि जब झारखंड बिहार राज्य के साथ जुड़ा हुआ था, तब लगभग बत्तीस साल पहले पंचायत के चुनाव हुए थे। हम उन बत्तीस सालों को जोड़ें या इन ग्यारह सालों को जोड़ें? दोनों को मिलाकर अभी तक झारखंड के साथ जो हुआ है, वह नहीं होना चाहिए था। सौभाग्य की बात है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहिन कुमारी मायावती जी की देन है कि हमें 2005 से झारखंड को देखने का मौका मिला। मैं बहुजन समाज पार्टी की ओर से 2005 से झारखंड प्रदेश का प्रभारी हूं। हम वहां 2005 से लेकर 2011 तक के तीन चुनाव करवा चुके हैं। इन तीनों चुनावों में हमने जो झारखंड में देखा है, वह हमने गांव-गांव जाकर देखा है। वैसे तो पार्टियों में और भी पार्टियों के प्रभारी हैं, वे भी जाते हैं, हमें भी मौका मिला, तो हमने भी झारखंड को बड़ी बारीकी से देखा। झारखंड का दुर्भाग्य है कि तिरसठ साल की आजादी के बाद भी स्थिति अच्छी नहीं है। 2000 में, जब झारखंड को अलग कराने की मुहिम झारखंडवासियों ने छेड़ी थी, तो उनके मन में एक सपना था, एक सोच था कि हमारे झारखंड एरिया में इतने सारे मिनरल्स हैं। उनकी एक अलग राज्य बनाकर, उन तमाम राज्यों से हर क्षेत्र में ऊपर जाने की इच्छा थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि इन दस वर्षों में विधान सभा के चुनाव दो बार हुए और दोनों बार, जो विधान सभा के चुनाव हुए, उनमें एक बार भी पूरे पांच साल के लिए कोई भी सरकार नहीं चली। मान्यवर, पिछली बार जब 2005 में विधान सभा का गठन हुआ, तो उस विधान सभा के गठन को पूरे पांच साल चलना चाहिए था, लेकिन उन पांच सालों में तीन बार मुख्यमंत्री बदले। ग्यारहवें साल में आज मुख्यमंत्रियों की जो गिनती है, वह सात है। ग्यारह सालों में वहां के सात मुख्यमंत्री बने, जबकि दो होने चाहिए थे। इन सात माननीय मुख्यमंत्रियों ने झारखंड का जो बेड़ा गर्क किया है, वह हिन्दुस्तान के अलावा पूरे विश्व ने देखा है और सुना है। हमारे माननीय बीजेपी के उपनेता अहलुवालिया जी झारखंड से राज्य सभा में आए हैं, के.डी. सिंह जी बैठे हैं, मुंडा जी बैठे हैं और रिबैलो जी बैठी हैं। आप लोग कहां तक गए हैं, नहीं मालूम हैं, लेकिन हम इन तीन चुनावों के दौरान जहां तक गए हैं, झारखंड की जो हालत हमने अपनी आंखों से देखी है, वह बयान करते हुए दिल में आंसू आते हैं। मान्यवर, आपने देखा होगा

कि जिसे टाटा नगर कहते हैं, जो भारत का बहुत बड़ा पूंजीपति है, उसने वह टाटा नगर बसाया है। टाटा नगर के बगल में लगा हुआ घटसिला, बेहराघोड़ा तमाम ऐसे विधान सभा क्षेत्र हैं कि इन विधान सभा क्षेत्रों में जब आप जाएंगे तो लगेगा कि अभी हम हजार साल पीछे हैं। आज भी वहां पर मेहमान का स्वागत बरगद के पेड़ पर जो लाल चींटी हुआ करती है, उनको इकट्ठा करके थोड़े से तेल में भूनकर परोसकर किया जाता है। यह तब परोसा जा रहा है, जब भारत की आजादी के 63 साल हो गए हैं, तब परोसा जा रहा है, जब झारखंड को अलग राज्य बने 11 साल हो गए हैं। इसे दुर्भाग्य नहीं कहेंगे, तो और क्या कहेंगे? मैं और बताऊँ। जिसे बाँस कहते हैं, बाँस की जड़ों को निकाल कर, जो बहुत कोमल हुआ करती हैं, उन्हें भी स्वागत में परोसा करते हैं। यह सब हम कहानी नहीं बता रहे हैं। हमने अपनी आँखों से और स्वयं उसमें शामिल होकर देखा है। एक तरफ तो हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं कि हमारा देश 21वीं सदी को पार करने जा रहा है और दूसरी तरफ हम झारखंड जैसे राज्य में ऐसी हालत देख रहे हैं। और भी राज्य हैं, उड़ीसा में भी हम देख रहे हैं, हम उड़ीसा के भी प्रभारी हैं, हम आंध्र प्रदेश में भी देख रहे हैं, हम आंध्र प्रदेश के भी प्रभारी हैं। ऐसा नहीं है कि अकेले यह उड़ीसा के साथ है, अकेले यह झारखंड के साथ है,...(**व्यवधान**)... हैदराबाद तो हाईटेक सिटी है, लेकिन जब आप हैदराबाद के सुदूर गाँवों में जाएँगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ कि क्या स्थिति है।

सर, हमारे कहने का मतलब यह है कि माननीय मंत्री जी जो पंचायत राज विधेयक लाए हैं, मैं इसका स्वागत करता हूँ, हमारी पार्टी इसका स्वागत करती है, लेकिन यह काम बहुत पहले, 2001 में हो जाना चाहिए था। अगर यह काम 2001 में हो जाता है, तो आज झारखंड और झारखंड के पड़ोसी राज्यों में जो नक्सलवाद जोरों से पनप रहा है, हो सकता है इससे उस पर विराम लग जाता, क्योंकि जब तक नौजवानों को हाथ में कुछ काम नहीं मिलेगा, तब तक उनके खाली हाथ कुछ-न-कुछ शैतानी करेंगे। वैसे भी कहा गया है कि व्यक्ति खाली बैठा हुआ कुछ-न-कुछ सोचता रहता है। अगर 2001 में यह विधेयक लाकर पंचायत राज लागू करके वहाँ चुनाव प्रक्रिया जारी हो जाती, तो हमें आज विकास के लिए जो चीजें वहाँ देखने को नहीं मिल रही हैं, वह विकास हमें देखने को मिलता। 63 साल की आजादी के बाद पिछले सत्र में आपने राज्य सभा में महिला विधेयक पास कराया। बेशक यह बहुत अच्छा विधेयक था और राज्य सभा में ध्वनि मत से सभी साथियों ने इस विधेयक को पास कराया, ...(**समय की घंटी**)... लेकिन 63 साल की आजादी के बाद अगर आपकी नीति अच्छी होती, तो जो मैंने अभी बताया है, यह देश के अन्दर कहीं देखने को नहीं मिलता। वह तो धन्य हैं बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान में रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी, जिसके चलते हम लोग लोक सभा और विधान सभा में उस रिजर्वेशन के माध्यम से अपनी बात कहने के लिए आपके बीच में आए हैं। ...(**समय की घंटी**)... सर, मैं नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आपकी घंटी यह कह रही है कि हमें यह बात कहनी पड़ेगी। हमें भी आज पहली बार मौका मिला है, तो 4-5 मिनट हमें और दे दिया जाए।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): क्या आप पहली बार बोल रहे हैं, यह आपकी maiden speech है?

श्री बृजलाल खाबरी: जी हाँ, सर। मैं आपको कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब आपको बताना पड़ा।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): यह आपकी maiden speech है, तो आप बोलिए।

श्री बृजलाल खाबरी: सर, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूँगा।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): यह आपकी maiden speech है, आप बोलिए, मुझे मालूम नहीं था।

श्री बृजलाल खाबरी: सर, मैं यह बता रहा था कि बाबा साहेब अम्बेडकर के आशीर्वाद से आज हमें लोक सभा और विधान सभा में पहुँचने का मौका मिला है, नहीं तो हम लोग आपके सामने किसी भी रास्ते से आने वाले नहीं थे। सरकार का तो आप देख ही रहे हैं कि जहाँ रिजर्वेशन की बात आती है, तो सरकार के कान खड़े हो जाते हैं कि अब कौन सी आफत आने वाली है। रिजर्वेशन से पता नहीं सरकार को क्या अनिच्छा है? वैसे चुनाव के टाइम पर तो दीवारों पर बड़े-बड़े स्लोगंस लिखे जाएँगे, अखबारों में फुल पेज पर बड़ी-बड़ी स्टेटमेंट, विज्ञापन और सब कुछ आएँगे। उस समय ऐसा लगता है कि सरकार देश के जितने भी एससी, एसटी और दलित वर्ग के लोग हैं, उनका उत्थान करने में जरा भी देर नहीं लगाएगी। जैसे ही वह चुनाव प्रक्रिया से निवृत्त होती है, सरकार बनने के एक-आध महीने बाद भी पता नहीं उनका नजरिया क्यों बदल जाता है। चुनाव के पहले तो हर दल का स्टेटमेंट आता है- "हमारा हाथ गरीबों के साथ" या "हमारा सहयोग गरीबों के साथ", लेकिन जब सरकार बन जाती है, तो सीधे-सीधे उनका हाथ गरीब की गरदन पर होता है।

सर, सदन में आप किसी भी मुद्दे को लेकर देखिए, गरीबी हो, नकसलवाद हो या कोई और समस्या हो, ये सब सरकार की देन हैं। आज गरीबी बढ़ रही है, वह भी सरकार की देन है। अगर सरकार वास्तव में चिन्तित हो, तो ये सब चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। रिज़र्वेशन पर तो सरकार का ध्यान कभी जाता ही नहीं है। हकीक़त में अगर सरकार एससी, एसटी, ओबीसी और गरीब लोगों की हितैषी है, तो लोक सभा और विधान सभा के चुनाव के समय में कम से कम एक उदाहरण तो उसे ऐसा पेश करना चाहिए कि रिज़र्व्ड सीटों के अलावा किसी एक भी सीट पर रिज़र्व कैटेगरी के आदमी को उतारे। बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी भी दल ने, एक ही सामान्य सीट पर किसी रिज़र्व कैटेगरी के आदमी को लड़ा कर जिताने का काम नहीं किया होगा। अपवाद स्वरूप भले ही कोई एक-आध उदाहरण हो, लेकिन हमारी जानकारी में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। अगर कहीं किसी मौके पर ऐसा हुआ हो, तो हमें भी उसका ज्ञान करवाइए। चुनाव से पहले जो सरकारें गरीबों के लिए बहुत से वायदे करती हैं, चुनाव जीतने के बाद सरकार में बैठ करके फिर वे सरकारें क्यों भूल जाती हैं...(**व्यवधान**)...

सुश्री मैबल रिबैलो: बाबू लाल मरांडी जी...(**व्यवधान**)...

श्री बृजलाल खाबरी: बाबू लाल मरांडी एसटी के...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Maiden speech is not interrupted. ...*(Interruptions)*... Ms. Mabel, Maiden speech is not interrupted. ...*(Interruptions)*... Please don't do that. ...*(Interruptions)*...

श्री बृजलाल खाबरी: आप भी झारखंड से हैं और हम बराबर महीने में बीस दिन झारखंड में देते हैं। आप हमें मौका दीजिए, आपको हम खुद ले चलेंगे और आपके झारखंड की तस्वीर आपकी ही आंखों से आपको दिखाएंगे...(**व्यवधान**)...

सुश्री मैबल रिबैलो : आप झारखंड की तस्वीर...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please, Ms. Mabel, Please don't do that. ...*(Interruptions)*... मेडन स्पीच को इंटरप्ट मत करो, That is the tradition here.

श्री बृजलाल खाबरी: सर, हम आपके आदेश को पूरे तरीके से फॉलो करेंगे।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): आप उनके चेहरे की तरफ मत देखो, मेरे चेहरे की तरफ देखो। Look at my face. Don't look at their faces.

3.00 P.M.

श्री बृजलाल खाबरी: सर, झारखंड में पंचायत चुनाव कराने की जो तैयारी चल रही है, मैं आपके माध्यम से उस संबंध में अपनी तरफ से कुछ सुझाव देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी उन्हें कंसिडर करेंगे। वैसे तो यह झारखंड का दुर्भाग्य है, क्योंकि अगर आज वहां पर विधान सभा स्टैंड कर रही होती, तो आज यह चर्चा आपके सामने नहीं हो रही होती। यह पूरा सब्जैक्ट राज्य सरकार का है, लेकिन झारखंड का दुर्भाग्य यह है कि एक बार भी कोई सरकार पूरे पांच साल के लिए वहां नहीं चली। पिछले ग्यारह सालों में झारखंड दूसरी बार राष्ट्रपति शासन झेल रहा है। पिछली बार झारखंड ने पूरा एक साल लगातार राष्ट्रपति शासन झेला। सरकार को चले केवल चार महीने ही हुए थे कि दोबारा सरकार चली गई और राष्ट्रपति शासन लागू हो गया।

मान्यवर, पिछली बार भी हमने राष्ट्रपति शासन देखा है, उस समय भी वर्तमान सरकार ही केन्द्र में थी। राष्ट्रपति शासन की आड़ में झारखंड में जो खेल खेले जाते हैं, वे किसी से छिपे नहीं हैं। झारखंड में राष्ट्रपति शासन की आड़ में पूरे तरीके से कांग्रेस काम करती है और आज भी कर रही है। हमें एक शंका है। राष्ट्रपति शासन की आड़ में वहाँ जो पंचायती चुनाव होने जा रहे हैं, तो पिछले तीन बार के चुनावों का जो हमारा अनुभव है, चुनाव में जिस तरीके का काम देखने को मिला है, अगर कहीं पंचायत चुनाव में वही फॉर्मूला राष्ट्रपति शासन के चलते कांग्रेस शुरू कर दे, तो इसको कैसे रोका जाएगा, सर? इसको कैसे रोका जाएगा, यह एक बड़ी चिन्ता का विषय है।

सर, झारखंड की जो स्थिति है, उसे हमने देखा है। वहाँ पर चुनाव के टाइम में एक मुंडी के दस रुपए वहाँ के ठेकेदार लेते हैं। वहाँ पर भीड़ इकट्ठी करने के लिए एक व्यक्ति के 10 रुपए से लेकर 50 रुपए तक वहाँ के ठेकेदार लेते हैं। अगर किसी नेता के सामने एक लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी करनी हो तो वहाँ पर प्रति व्यक्ति 10 रुपए से लेकर 50 रुपए तक का ठेका लिया और दिया जाता है। वहाँ पर वोट को कैसे convert कराते हैं, इसको मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है, जो कि बहुत गंभीर विषय है। उसी तारतम्य में अगर वहाँ पंचायत के चुनाव कराए गए तो झारखंडवासियां की जो कल्पना है, उस कल्पना की हत्या हो जाएगी, इसलिए इसको रोका जाए। वहाँ पंचायत चुनाव कराए जाएँ, उसमें हम लोग हर तरीके से सहयोगी हैं, लेकिन ये पंचायत चुनाव विधान सभा और लोक सभा के तरीके से न हों, इस पर आपको थोड़ा-सा संज्ञान लेना होगा।

अंत में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ। PESA के तहत चुनाव कराने की जो मुहिम चल रही थी, जिसके चलते आज 11 वर्ष हो गए, लेकिन वहाँ चुनाव नहीं करा पाए हैं। PESA के बारे में भी हमारी थोड़ी-सी जानकारी है। माननीय कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ये चुनाव कराए जा रहे हैं। PESA में हमारा एक ही अनुरोध है कि जाति के आधार पर नहीं बल्कि जनसंख्या के आधार पर चुनाव हों। वहाँ रिजर्वेशन होना चाहिए। वहाँ पर जाति के आधार पर नहीं, जाति की संख्या के आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए, यह हमारा एक सुझाव है।

दूसरा, जैसे लोक सभा और विधान सभा की बैठकें होती हैं, हम सदस्यगण मीटिंग में आते हैं और हमें थोड़ा-बहुत यात्रा भत्ता आदि जो भी मिलता है, जो मुखिया पद के उम्मीदवार होंगे, उनमें से जो जीतेंगे, उनकी तो व्यवस्था अवश्य ही होनी चाहिए, लेकिन जो मैम्बर्स मीटिंग में आएँगे, उनके लिए भी कुछ-न-कुछ मानदेय की व्यवस्था माननीय मंत्री जी कराने का प्रबंध करें, ऐसा मेरा सुझाव है।

बस अंत में मैं एक लाइन कह कर अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूँ। सर, हमारे पास आपके बीच रखने के लिए आज बातें तो बहुत-सी थीं। अगर आपका सानिध्य मिलता तो मैं अपनी बात तो जरूर आगे बढ़ाता, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि हमें और ज्यादा समय देने का विचार आपको नहीं है और हम ज्यादा समय लेना भी नहीं चाहते हैं। हम आपके सानिध्य में, आपके दिशा-निर्देशन में और आपके इशारे को समझते हुए अब

अपनी बात को समाप्त करेंगे। हमारी चिन्ता बस इतनी-सी है कि आजादी के 62-63 साल बाद भी झारखंड आज दुर्दशा में जी रहा है। वहाँ आज जिस तरीके का नक्सलवाद है, वह कहीं बाहर से आयातित नहीं किया गया है। यह नक्सलवाद हमारी शुरुआती सरकारों की देन है। नक्सलवाद कहीं अलग से नहीं आया है, बल्कि जो हमारी शुरुआती सरकारें हैं, उन्होंने इसे पैदा किया है। इन्हें देश के ऊपर और प्रदेशों में हुकूमत करने का लम्बा समय मिला है, लेकिन जो जरूरतमंद लोग हैं, उन पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया है। आज वे हर क्षेत्र में पिछड़े हैं। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या रोजगार आदि का क्षेत्र हो, वे सब में पिछड़े हैं और उनको आगे लाने की जिम्मेदारी सरकार की है। जो सरकारें एक लम्बे समय तक इस देश में शासक रही हैं, उन्हें आपके माध्यम से एक संदेश जाना चाहिए कि देश के अंदर जो वास्तव में जरूरतमंद लोग हैं, उनका ख्याल रखा जाए। यह बड़ी चिंताजनक बात है कि आज हर माननीय सांसद इस बात को बड़े दुख के साथ कहते हैं कि आज देश के अंदर इतना गेहूं सड़ रहा है।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): ओ.के.।

श्री बृजलाल खाबरी: एक मिनट सर। एक भी नहीं, मैं आधे मिनट में अपनी बात समाप्त करूँगा, यह अंतिम पैरा है।

हमारे माननीय सदस्यगण यह बराबर कह रहे हैं कि देश के अंदर हमारा लाखों मीट्रिक टन गेहूँ सड़ रहा है और उस दशा में भी माननीय कृषि मंत्री जी का दिल नहीं पसीज रहा है। वे इसे क्यों नहीं देना चाहते हैं? अगर यह गरीबों को घटे रेट्स पर मिल जाए, आज तो यहाँ आधे रेट की बात हुई थी, आज मार्केट में जो 12 रुपये और 14 रुपये किलो में मिल रहा है, अगर वह 7 रुपये किलो के दाम पर भी मिल जाए तो गरीबों का कुछ हित हो जाएगा। एक तरफ तो आप गरीबों के बहुत बड़े हितैषी हैं और दूसरी तरफ आप गरीबों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो यह दोहरी बात कैसे चलेगी?

मान्यवर, मैं आपकी इस बात को पूरे तरीके से मानता हूँ। मुझे आज आपके बीच अपनी बात कहने का मौका मिला है। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने चुनाव कराने की मुहिम छेड़ी है, लेकिन इसके लिए एक तारीख निश्चित हो जानी चाहिए कि ये चुनाव कब तक कराये जाएंगे। ऐसा न हो कि विधेयक पास होने के बाद चुनाव फिर 10 साल के लिए आगे चले जाएँ। इसलिए, चुनाव की तारीख और समयावधि निश्चित हो जाए। भले ही वे इसे 2011 तक करायें, लेकिन अगर यह निश्चित हो जाए तो हम लोग उसकी तैयारी में लगेंगे, नहीं तो पता लगा कि हम यहाँ बहस कर रहे हैं और ये फिर 20 साल के लिए चले जाएँ। 32 साल तो गुजर गये हैं। 32 साल के बाद अब कहीं और 32 साल न गुजर जाएं, यह भी एक चिन्ता का विषय है। सर, आपने मुझे यह मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : आपने अपनी अच्छी मेडन स्पीच दी। इसके लिए हम आपका अभिनन्दन करते हैं।...(**व्यवधान**)... श्री राम कृपाल यादव।

श्री रामचन्द्र खूंटिआ (उड़ीसा) **:** सर, आपकी हिन्दी तो बहुत अच्छी है।...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : अच्छी है?...(**व्यवधान**)... हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसलिए हम बोलते हैं।

श्री राम कृपाल यादव (बिहार) **:** धन्यवाद सर। आज यहां जो झारखंड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2010 आया है, उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वे इस बिल को यहां लाये। यह बिल यहां नहीं आना था, लेकिन चूंकि झारखंड में अभी सरकार नहीं है, वहां राष्ट्रपति शासन है, इन्हीं कारणों से यह बिल इस सदन के सामने लाया गया है। मैं सबसे पहले इस बिल का समर्थन करता हूं।

महोदय, झारखंड और बिहार, जिस स्टेट से मैं आता हूं, पहले दोनों एक थे। वर्ष 2000 में झारखंड और बिहार का विभाजन हुआ। लगभग 10-11 साल हो गये, झारखंड अलग राज्य के रूप में स्थापित है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि झारखंड राज्य का गठन जिन उद्देश्यों के साथ हुआ था, उनकी पूर्ति नहीं हुई। वहां के जो back-benchers थे, जो गरीब तबके के लोग थे, शेड्यूल्ड कास्ट्स या शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग थे, जिनको आजादी के बाद यह एहसास नहीं हुआ था कि वे आजाद हैं, उनकी तरक्की के लिए, उनकी शिक्षा-दीक्षा, हेल्थ, बिजली, पानी के लिए और झारखंड के विकास के लिए उनकी जो सोच थी, वह सोच केवल सोच ही रह गयी, उसकी पूर्ति नहीं हो पायी है। उपसभाध्यक्ष जी, झारखंड में लगातार चुनाव हो रहे हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, यह दुर्भाग्य की बात है और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर यह झारखंड के विकास में बहुत बड़ी बाधा है। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब झारखंड में चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं, तो वे भी अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाते हैं और झारखंड जहां था, वहीं का वहीं रुका हुआ है। यह प्रदेश बड़े पैमाने पर करप्शन यानी भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और यहां की जनता आज भी त्राहिमाम् कर रही है। पूज्य महात्मा गांधी जी का सपना पंचायती राज का था और उन्होंने पंचायती राज की स्थापना की बात इसलिए की थी कि जब पंचायती राज का गठन होगा, तो इससे गांवों का विकास होगा, गांवों में रहने वाले लोगों का विकास होगा और लोगों को छोटे से छोटे काम के लिए राज्य के MLA या MP के पास नहीं जाना पड़ेगा और उनकी समस्याओं का निदान पंचायत स्तर पर ही हो जाएगा, लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड में पंचायती राज कायम नहीं हो सका। इसके कई कारण हो सकते हैं। मुझे याद है कि जब NDA की सरकार आई थी, उस समय पूरे देश में यह नियम लागू किया गया था कि जब तक राज्य अपने यहां पंचायती राज का चुनाव नहीं कराएंगे, तब तक हम फंड आवंटित नहीं करेंगे। इसके बावजूद भी पता नहीं किन परिस्थितियों की वजह से झारखंड में पंचायती राज का चुनाव नहीं हो सका और आज तक नहीं हो पाया है। यह तो माननीय मंत्री जी की इच्छा शक्ति है, वे चाहते हैं तथा वहां की सरकार चाहती है कि वहां पंचायती राज के चुनाव हों, इसलिए यह बिल लाया गया है। अतः यह एक स्वागत योग्य कदम है।

उपसभाध्यक्ष जी, जहां तक मैं जानता हूं, आज पूरे देश के पैमाने पर पंचायती राज कायम है और उसमें रिज़र्वेशन का भी प्रावधान हो गया है तथा महिलाओं को भी उसमें उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। इस देश के भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी का जो सपना था कि 33 परसेंट आरक्षण महिलाओं को मिले, कई राज्यों में तो उसे 50 परसेंट तक कर दिया गया है और यहां भी यह व्यवस्था की जा रही है, यह स्वागत योग्य है।

उपसभाध्यक्ष जी, बिहार के एक नागरिक की हैसियत से मैंने यह महसूस किया है कि पंचायती राज का जो मूल उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है। आप भी यह महसूस करते होंगे, आप भी अनुभवी हैं और मंत्री जी स्वयं भी यह महसूस करते होंगे कि आज पंचायती राज में इतना करप्शन हो गया है कि जब तक इस पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा, तब तक कुछ काम नहीं हो सकेगा। मैं समझता हूं कि आज पंचायती राज के माध्यम से लूट की छूट है। केन्द्र सरकार से जो धन राज्यों को आवंटित किया जाता है, उसमें बड़े पैमाने पर करप्शन है। मैंने बिहार में देखा है, मैं अपने बिहार राज्य के बारे में बोल रहा हूं कि वहां हर स्तर पर करप्शन है और जो पैसा यहां से दिया जाता है, उसमें से 10 परसेंट पैसा भी खर्च नहीं हो पा रहा है, ये हालात हैं। इसलिए आपको इस पर अंकुश लगाना पड़ेगा।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन करूंगा कि महिलाओं के लिए जो आरक्षण है, उस आरक्षण का सदुपयोग नहीं हो रहा है। आम तौर पर पंचायतों में महिलाएं नहीं जाती हैं। हम सब लोग एम.पी. हैं, लेकिन गांवों में पंचायतों में एक नया एम.पी. हो गया है। पूछिए कौन सा एम.पी.? एम.पी. यानी मुखियापति। मुख्यिापति सभी काम कर रहे हैं, मुखिया महिला घर में है और उनके पति सब काम कर रहे हैं, कितना misuse हो रहा है, इस पर निगाह रखने की आवश्यकता है। वहां अफसरशाही इतनी बेलगाम हो गई है कि आश्चर्य है। मैं पूरे देश की बात नहीं करता, लेकिन बिहार में, जहां से मैं आया हूं, वहां मैंने देखा है कि BDO साहब मुखिया जी से चाय के बर्तन धुलवा रहे हैं। चुने हुए प्रतिनिधियों की यह हालत है। उनको कोई पावर नहीं मिली है। आपने local self government का सपना तो दिखलाया, लेकिन आर्थिक रूप से उनकी कोई मदद नहीं की, उनको ताकत नहीं दी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चुने हुए प्रतिनिधियों को बरख़ास्त कर रहे हैं। यह क्या हो रहा है? आपको किसी भी आरोप में फंसा दिया जाता है और फिर आप DM साहब के कंट्रोल में हो जाते हैं, फिर आप बरख़ास्त हो जाते हैं। आपको जनता ने चुना है, तो जनता को ही अधिकार होना चाहिए कि वह आपको हटाए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब बरख़ास्त कर रहे हैं। सर, यह लोकतंत्र पर एक प्रश्नचिन्ह है और पंचायती राज को कलंकित करने का काम किया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : कृपया आप समाप्त कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : सर, मैं एक-दो बात कह कर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : आप छः मिनट बोल चुके हैं।

श्री राम कृपाल यादव : सर, कृपा करके मुझे एक-दो मिनट और दिए जाएं। अगर आपकी कृपा नहीं होगी, तो मैं बैठ जाता हूं।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : ठीक है, आप जल्दी कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : सर, मैं यह कह रहा था कि जिन बातों की तरफ हमने माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया कि जो व्यवस्था है, उसके अंतर्गत उसको तब्दील करने का काम कीजिए और नए कानून के साथ आइए, आप इनको अफसरों के हाथ की कठपुतली नहीं बनने दीजिए, इनको अफसरों का गुलाम नहीं बनने दीजिए। आप पंचायती राज की बात कर रहे हैं, लेकिन जिला परिषद् के लोग और मुखिया लोग गुलामी का जीवन जी रहे हैं। इन तमाम बातों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा और इसमें जो व्यापक भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए एक ठोस कानून बनाने की आवश्यकता है, ताकि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वे स्वतंत्र रूप से काम कर सकें और गांव का विकास कर सकें। सर, इनके पास सारी की सारी पावर है, मगर कुछ भी पावर नहीं है। इन सब चीजों को बारीकी से देखना पड़ेगा।

सर, मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं और माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि इसमें जो कमियां हैं, उन कमियों को दूर कीजिए, ताकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो सपना था, वह सपना साकार हो सके और गांव का कल्याण हो सके, गांव में रहने वालों का कल्याण हो सके। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपके प्रति विशेष कृपा आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री जय प्रकाश नारायण सिंह (झारखंड) **:** माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं "—झारखंड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2010" पर प्रकाश डालने के लिए आपके बीच खड़ा हूं। मैं झाखंड वासी हूं। जितने भी वक्ता अभी तक बोल चुके, वे सभी इस हाउस के सदस्य हैं, लेकिन मैं वहां का वासी हूं और इस पंचायत राज विधेयक, PESA के अंतर्गत यह जो चुनाव हो रहा है, मैं PESA का स्वागत करता हूं। मैं संविधान का, इस सभा

का स्वागत करता हूं। लेकिन, PESA कानून का स्वागत करने के पूर्व मैं सरकार से एक संशोधन चाहता हूं। झारखंड की जनता, जनजाति को छोड़कर जितने लोग हैं, जिनकी आबादी 80 प्रतिशत है, आप उनको PESA के अंतर्गत चुनाव से वंचित करने जा रहे हैं। इससे बड़ा अन्याय और कुछ नहीं हो सकता है। हमको सबके हित को ध्यान में रख कर ही PESA कानून को लागू करना चाहिए।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जब औरगंजेब को जमाना था, भारतवर्ष में उनका राज था, तब उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल न करने वालों के खिलाफ जजिया टैक्स लगाया था, इसी तरह झारखंड के नागरिकों के खिलाफ यह PESA कानून है, यह एक तरह का जजिया है। वहां सभी पंचायत के रहने वाले नागरिक न एम.एल.ए बन सकते हैं, न एम.पी. बन सकते हैं, न ही अपनी पंचायत में किसी पद पर खड़ा हो सकते हैं। भारत के जितने राज्यों में PESA कानून लागू हुआ है, उन राज्यों में जनगणना के आधार पर, उनकी जनसंख्या के आधार पर पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया गया है। पहले पंचायत में जनगणना हुई, फिर पंचायत की सीमा निर्धारित की गई, फिर जनगणना हुई और तब जनगणना के आधार पर पंचायत में reservation हुआ। लेकिन, झारखंड में 2001 में जनगणना हुई और 1950 की जनगणना के आधार पर ही पंचायत को reserved कर दिया गया, इससे और अंधेरगर्दी क्या हो सकती है? कहते हैं कि जिस राज्य का राजा ही अंधा हो, बहरा हो, वह जनता के दुख दर्द को नहीं समझता। झारखंड जनजाति बहुल्य राज्य नहीं है, बल्कि यहां पर 80 प्रतिशत दिक्कुओं की आबादी है। दिक्कु का मतलब है गैर-जनजाति। 20-22 प्रतिशत ही जनजाति की आबादी है और अपने पंचायत को रिजर्व करने के बदले जिला को रिजर्व कर दिया। इसका मतलब है कि उस जिले में कोई दूसरी जाति के लोग पंचायत चुनाव में भाग नहीं ले सकते, इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है? इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से और सरकार से गुज़ारिश करता हूं कि झारखंड की जनता पर आप न्याय कीजिए, पेसा काननू को लागू कीजिए और मैं इसका स्वागत करता हूं। पेसा कानून आदिवासियों को न्याय दिलाने क लिए, उनकी राजनीतिक हैसियत बढ़ाने के लिए और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए किया गया था, न कि सादानों के हक को मारकर यह कानून लागू करने के लिए किया गया था। इसलिए मंत्री जी, हम यह चाहते हैं कि आप इसको स्टैंडिंग कमेटी में रखिए, तीन महीने के बाद पुनः स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए और इसके बाद पेसा कानून को पुनः लागू करके आप झारखंड में चुनाव कराइए। वहां 33 साल तक चुनाव नहीं हुए, अब 33 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं। तीन महीने बीत जाएं और उसके बाद अगर चुनाव होते हैं, तो कोई हरजा नहीं है, लेकिन आप इस कानून को क्यों लागू करना चाहते हैं? झारखंड जनजाति बहुल राज्य नहीं है। अभी मंत्री जी बोल रहे थे कि 50 परसेंट से ज्यादा आबादी पंचायतों में है, ऐसा कहीं नहीं है। 80 परसेंट आबादी गैर-जनजातीय है। सिर्फ 22 परसेंट आबादी जनजातियों की है, इसलिए 80 परसेंट के साथ अन्याय मत कीजिए, उसको न्याय दीजिए। झारखंड की सरकार ने सर्वसम्मति से विधान सभा की डेढ़ सौ सीटें बढ़ाने की मांग केंद्र सरकार के सामने रखी थी, लेकिन यह मांग अभी तक लंबित है। अगर बार-बार वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और प्रजातांत्रिक ढंग से विधान सभा भंग हो जाती है, तो बार-बार चुनाव कराना पड़ता है। ...(**समय की घंटी**)... आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वहां की विधान सभा की सीटों की संख्या डेढ़ सौ की जाए। अगर आप इस कानून को स्टैंडिंग कमेटी के पुनः विचार किए बिना करेंगे, तो कहा जाएगा —"अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा"... इसका मतलब आपको न्याय करने का दम नहीं है, इसलिए मैं आसन से, सरकार से और सदन से आग्रह करूंगा कि झारखंड में इस विधेयक को लागू करने के पूर्व इस पर पुनः स्टैंडिंग कमेटी से विचार कराया जाए, यही बात मुझे कहनी है। क्योंकि आसन से घंटी बज रही है, इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मणि शंकर अय्यर (नाम निर्देशित) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और माननीय मंत्री जी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिस विधेयक का मुझे बीस साल से इंतज़ार था, आज उस विधेयक को आप इस सदन में लाए हैं। महोदय, इस विधेयक को पारित करते ही झारखंड भी हमारे भारत का अटूट हिस्सा बन जाएगा, जबकि आज से 18 साल पहले बताया गया था कि हर राज्य में पंचायतों का चुनाव होगा, लेकिन बहुत ही अफसोसजनक बाद है कि साढ़े सत्रह साल पश्चात भी आज तक कोई एक चुनी हुई पंचायत झारखंड में नहीं है। यह आखिरी राज्य है, जिसमें पंचायत का चुनाव करने की आवश्यकता है, इसलिए इस विधेयक का समर्थन करते हुए माननीय मंत्री जी से मेरी पहली मांग यह रहेगी कि कृपया अपने जवाब में बताएं कि कब आप चुनाव कराने वाले हैं? अफवाह तो है कि इस साल चुनाव हो जाएंगे लेकिन मुझे उस पर भरोसा नहीं है। मैं समझता हूं कि इस राष्ट्रपति शासन के दौरान यदि मंत्री महोदय, जिनकी जिम्मेदारी है कि हमारे संविधान का सम्मान हो और ये जो चुनाव हैं, ये कोई आम चुनाव नहीं हैं, ये संवैधानिक चुनाव हैं, तो माननीय मंत्री जी इस विधेयक को पारित करने से पहले हमें बताएं कि कब वे चुनाव कराने वाले हैं? बताया जाता है कि हम दो-चार महीने और इसको निलंबित करें तो क्या एतराज़ है? तो मुझे बहुत एतराज़ है। जब झारखंड बिहार का हिस्सा था, तब हालांकि कुछ ऐसे विषय थे जो अदालत के सामने थे, जिन पर अदालत गौर कर रही थी और जब इनसे पूछा गया कि क्या हम चुनाव कर सकते हैं, तो इज़ाज़त दी गई थी। जब बिहार में चुनाव हो सकते हैं तो निश्चित रूप में झारखंड में भी हो सकते हैं। खास तौर पर इस कारण से, कि हम भी सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचे और सर्वोच्च न्यायालय में सर्वसहमति के साथ यह मांग पेश की गयी थी, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि झारखंड में पंचायत राज लागू होना चाहिए। इस सारे केस के संबंध में जो भी arguments अदालत में करने थे, वे नवम्बर 2008 में पूरे हुए थे। फिर हमें पूरे 13-14 महीने तक इंतजार करना पड़ा कि सर्वोच्च न्यायालय एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्या वहां पर पंचायत राज लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब कि अब ऐलान आ चुका है, और वह भी आठ महीने पूर्व, कि पंचायत राज के चुनाव आपको करवाने ही पड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ मांग रहा हूं कि हमारे मंत्री महोदय इस बिल को पारित करने से पहले हमें बताएं कि आपका इरादा क्या है और कब जाकर आप इन चुनावों को करवाने वाले हैं? दूसरी चीज़ यह है इस चीज़ का इंतजार नहीं करना चाहिए कि किस वैज्ञानिक तरीके से झारखंड में पंचायत राज लागू होगा क्योंकि पंचायत राज मंत्रालय को अब यह अनुभव है कि हमारे जो activity maps हैं, उनके जरिए झारखंड में अपने अफसरान को आज ही भेजकर यह देखा जाए कि अधिकार, अधिकारीगण और अर्थव्यवस्था का सुपुर्दगीकरण कैसे किया जाए। सर, मैं मंत्री जी को आश्वासन देता हूं कि उनको इसके लिए केवल 24 घंटे की जरूरत होगी कि एक ऐसा activity map तैयार करें, जिससे, जब भी पंचायत राज झारखंड में आए, वह देश का सबसे बेहतरीन पंचायत राज हो। ऐसा एक activity map कुछ साल पहले असम के लिए तैयार किया गया था, ऐसा ही एक activity map दमन-द्वीप के लिए तैयार किया गया था। मैं जानता हूं कि पंचायत राज मंत्रालय में यह अनुभव है, जिसके अंतर्गत, जिसके ज़रिए, जिसके आधार पर और जिसकी बुनियाद पर, वहां पंचायत राज को कैसे लागू करना चाहिए, वह सारा काम, वह मसौदा वे चंद ही घंटे में तैयार कर सकते हैं। यदि वह तैयार हो जाता है, तो जैसे ही चुनाव पुरे होते हैं, त्यों ही असली मायने में और वैज्ञानिक तरीके से सुपुर्दगीकरण किया जा सकता है। लेकिन यदि केन्द्र सरकार की ओर से इसमें विलम्ब किया गया और उसने कहा कि राष्ट्रपति काल में हमारा काम मात्र यही है कि हम इस बिल को यहां राज्य सभा में लाएं और उसको यहां से पारित करवाएं तो ऐसी स्थिति में मुझे इसे बात की बहुत फिक्र होगी कि पंचायत के चुनाव तो हो जाएंगे लेकिन पंचायती राज हम नहीं देख पाएंगे। इसलिए

मेरी दूसरी मांग यह है कि इन आने वाले दिनों में, जब कि राष्ट्रपति शासन का काल चल रहा हो, इस दौरान आप इस बात की तैयारी करें कि वैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार का सुपुर्दगीकरण होना चाहिए, ताकि चुनाव होते ही झारखंड आखिरी स्थान से उछाल मारकर एकदम पहले स्थान पर पहुंच जाए। ऐसा काम करना माननीय मंत्री महोदय के हाथ में है और उनको यदि अपना फर्ज पूरा करना है तो वे इस काम को कर सकते हैं। तीसरी बात, जो योजनाएं तैयार करनी हैं, उनके संबंध में कहना चाहता हूं। धारा 243(जै)(डी) और धारा 243(जी) के अंतर्गत हमारे संविधान में प्रावधान है - मैं कानून की बात नहीं कर रहा हूं, मैं संविधान की बात कर रहा हूं - वहां प्रावधान है कि इन विकास की योजनाओं की तैयारी बिल्कुल निचले स्तर से शुरू होगी और जब तक हर गांव ने अपने विकास की योजना तैयार न की हो, जब तक हर पंचायत समिति ने अपनी औकात के लिए विकास की योजना तैयार न की हो। जब तक कि हर जिला परिषद ने अपने विकास के लिए तैयारी न की हो और जब तक कि हर नगरपालिका ने ऐसी तैयारी न की हो, तब तक मामला डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी तक नहीं पहुंच सकता है। जबकि निचले स्तर से ऊंचे तक तैयारी हो जाती है, तब जाकर डी.पी.सी. में मात्र यह बताया गया है कि आर्टिकिल 243(z)(d) में डी.पी.सी. का काम डिस्ट्रिक्ट प्लान तैयार करने का नहीं है, लेकिन कंसोलिडेट करने का है। जो गांवों में योजनाएं तैयार की जाती हैं, ब्लॉक में तैयार की जाती हैं, जो जिला में तैयार की जाती हैं उनको सम्मिलित करके जिले के विकास के लिए एक योजना का मसौदा तैयार करना है और किसी को इस मामले में किसी प्रकार का फिक्र रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संविधान में बताया गया है कि उसी धारा - 243(z)(d) में मसौदा ही तैयार किया जा सकता है, वह राज्य सरकार को पहुंचेगा और वहां जाकर बारीकी में उसको कुछ सही करने की जरूरत पड़े तो वह कर सकते हैं। लेकिन कम से कम जनता की आवाज सुनें और उसके बाद विशेषज्ञ तय करें कि क्या करना चाहिए और कैसे। ऐसा न हो कि योजना भवन में बैठे वे लोग जिन्होंने गांव कभी देखा ही नहीं है, वे तय करें कि ग्रामीण विकास कैसा हो और क्योंकि इस तरीके से हम योजनाएं तैयार करते आए हैं, बहुत दुख की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है कि पिछले कुछ सालों के दौरान सन् 1994 से लेकर सन् 2009 तक केन्द्रीय खर्चों में जो बढ़ोत्तरी हुई है, जो सोशल सैक्टर्स हैं, जो गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम हुए हैं, उनमें खर्चों की बढ़ोत्तरी 15 गुना हुई है। 1994 में खर्चा 7500 करोड़ रुपए का था और आज के दिन तकरीबन एक लाख पैंतीस हजार करोड़ हो गया है। लेकिन यू.एन. ह्यूमेन डवलपमेंट इंडेक्स में जहां कि हमारा स्थान 1994 में 134 था, 15 साल के बाद यू.एन.एच.डी.आई. पर हमारा स्थान वही 134 पर ही है। जबकि मैंने माननीय मंत्री जी से सवाल किया कि इसका मूल कारण क्या है? मुझे बताया गया कि हमने इसकी जांच नहीं की है, लेकिन आप खुश हो जाइए कि 1998 में हम 138वीं जगह पर थे और अब हम चार जगह उठकर 134 पर पहुंच गए हैं। अब इस दृष्टिकोण को बदलकर सोच लीजिएगा कि साधन की कोई कमी नहीं है लेकिन इसके उपयोग में इतना घाटा होता है, जो राजीव जी ने 25 साल पहले बताया था कि रुपए में 85 पैसे प्रशासनिक खर्चों पर जाया हो जाते हैं, यही है मूल कारण कि गांव के स्तर पर विकास नहीं हो रहा है। हम इस नौकरशाही पर निर्भर न रहें, इसे नौकरशाही से हम हटें, हम लोगों पर विश्वास रखें। हम कहें कि यह जो पैसा कैन्द्र से भेजा जा रहा है और जिसके साथ आपकी राज्य सरकार तकरीबन 25 प्रतिशत अपना धन दे रही है, इसको मिलाकर समेटकर आप सीधा पंचायतों तक पहुंचाइए तीनों स्तर पर और वह भी एक्टिविटी मैपिंग के आधार पर। आप जबकि एक्टिविटी मैप तैयार करते हो, न केवल अधिकारों के एक्टिविटीज तय करें कि कौन सा काम गांव के स्तर पर होगा, कौन सा काम ताल्लुका के स्तर पर होगा और कौन सा काम जिले के स्तर पर होगा, यह भी तय कर लीजिए कि उस काम को करने के लिए बजट में कितना हिस्सा गांव तक जाएगा, कितना हिस्सा ब्लॉक तक जाएगा और कितना हिस्सा जिलों तक जाएगा, यह भी हो जाए और उसके साथ-साथ किस तरीके से आप अधिकारीगण

का सुपुर्दगीकरण करवाएंगे, वे भी उसी एक्टिविटी मैप में आपने लिखकर दे दिया हो, तब झारखंड तैयार हो जाएगा पंचायत राज को इस तरीके से लागू करने के लिए और बजाए केरल और कर्नाटक अव्वल स्थान पर हो जाएं, लेकिन हम देखेंगे कि झारखंड छलांग मारकर पिछले 20 साल को बिल्कुल भूलकर अव्वल स्थान पर पहुंच सकता है, लेकिन वह तब तक नहीं होगा, जब तक कि केन्द्र सरकार और खास तौर से हमारी माननीय ग्रामीण विकास मंत्री एवं पंचायत राज के मंत्री ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभायी और इन तीन चीजों के लिए - अधिकर, अर्थव्यवस्था और अधिकारीगण की सुपुर्दगीकरण के लिए, एक मार्ग चित्र न बनाया हो एक मार्ग चित्र ने बनाया हो और पेश न किया हो, जबकि राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल पूरा हो जाता है, उसमें कुछ थोड़ी-बहुत तब्दीली लानी हो, तो वह उस समय हो सकती है। लेकिन बुनियादी काम आपने यहां दिल्ली में शुरू नहीं किया, आपने इस काम को झारखंड की जनता के साथ राय-मशविरा करके तैयार नहीं किया, मसौदा तैयार नहीं किया, तब मैं नहीं जानता हूं कि चुनाव करने के बाद और कितने दिन तक हमें इंतजार करना पड़ेगा कि झारखंड में पंचायती राज असली मायने में होगा या नहीं होगा।

चौथी चीज़, मैं यह कहना चाहता हूं कि PESA के कोई एरियाज़ नहीं हैं। PESA में यह नहीं लिखा गया है कि कहां-कहां वह लागू होगा। हमारी पांचवीं अनुसूची में बताया गया है कि कौन से एरियाज़ पांचवीं अनुसूची में हैं और वहां पर PESA को लागू करना आवश्यक है। बजाय PESA को रोकने के, यदि आपको कोई ऐतराज़ हो कि आज के दिन यह शहर या यह गांव, जिसके बारे में पांचवीं अनुसूची में लिखा है, आप पांचवीं अनुसूची को बदलने में लग जाइए। आप कामयाब होंगे, तो मुबारक हो। लेकिन इस बीच में यह कहना कि यह पांचवीं अनुसूची की जगह है और तब भी, आप PESA को लागू न करें, इसका मतलब मेरी समझ में नहीं आता है। हमारी अनुसूचित जनजाति जो है, वह सबसे पीड़ित तबका हमारे देश का है। माननीय मंत्री जी, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह हमारे प्रधान मंत्री जी कह रहे हैं। अनुसूचित जनजाति के लोग सबसे पीड़ित हैं और उनके लिए जो एक खास कानून तैयार किया गया है और वह भी संविधन के निर्देशानुसार, फिर आप कहें कि 18 साल पहले कि नहीं, नहीं यहां इस पांचवीं अनुसूची के इलाके में और भी कुछ लोग आ गए हैं, यह बिल्कुल गलत बात है। आपको पांचवीं अनुसूची में कुछ संशोधन लाना हो, तो ले आइए, यहां पर बात करेंगे, लेकिन इसको बहाना बनाकर जिस तरह से PESA की उपेक्षा हो रही है, इस पर मैं अपना ऐतराज़, जताना चाहता हूं। यह बड़ी खुशी की बात है कि इस समय वहां राष्ट्रपति शासन का काल है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह पहली बार नहीं है, मैंने बार-बार इस विषय में लिखा है, इस बात को आप जानते ही हैं। मैं इस विषय पर संसद में बोल चुका हूं, फिर भी दोहराना चाहता हूं कि पांचवी अनुसूची में ...(**समय की घंटी**)... भाग "क" है, उसके तीसरे पैराग्राफ को आप पढ़िए। उस तीसरे पैराग्राफ में लिखा है, वह पैराग्राफ हमने नहीं लिखा है, वह हमने नहीं लिखा है, यह बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 1949 में लिखा है, यह पारित होने के पहले कि पांचवीं अनुसूची के इलाके में केन्द्रीय सरकार निर्देश दे सकती है कि प्रशासन कैसा चलाया जाए। यह लिखा हुआ है, यह हमने नहीं लिखा है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जो 42वां अमेंडमेंट था, यह उसकी बात नहीं है। डा. बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इस पांचवीं अनुसूची के बारे में सोचते वक्त यह तय किया था कि इन इलाकों में यदि केन्द्र सरकार को लगे कि कोई कानून सही मायने में लागू नहीं किया जा रहा है, तो आपका फर्ज बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप भाग "क"…..

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please conclude. ...*(Interruptions)*...

SHRI MANI SHANKAR AIYAR: I will just conclude in two minutes. ...*(Interruptions)*... This is a very important point. ...*(Interruptions)*... Just allow me for another two minutes. ...*(Interruptions)*... Please allow me. ...*(Interruptions)*... भाग "क" के तीसरे पैराग्राफ में, जो आपको अधिकार दिया गया है, हमारे संविधान के निर्माताओं की तरफ से, उसका खुदा के वास्ते आप इस्तेमाल कीजिए और निर्देश निकालिए कि PESA को लागू करना चाहिए। हमने देख लिया है, अभी मेरे नये मित्र श्री बृजलाल खाबरी जी सवाल उठा रहे थे कि आप लोग ही तो शासन चला रहे थे और यह नक्सलवाद क्यों बढ़ता जा रहा है। मैं इस झगड़े में उतरने के लिए तैयार नहीं हूं। आप महाभारत को लड़िएगा। मैं यह कह रहा हूं कि आज के दिन नक्सलवाद उन्हीं इलाकों में बढ़ रहा है, जो कि पांचवीं अनुसूची के इलाके हैं।

1996 के बाद उन इलाकों में जितनी भी राज्य सरकारें रहीं हैं, उन्होंने PESA को लागू नहीं किया। प्रधान मंत्री बजाए निर्देश भेजने के इन्हीं मुख्य मंत्रियों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप PESA लागू कीजिए। हमारे मुख्य मंत्रीगण भी कहते हैं ...(**समय की घंटी**)... आप बेफिक्र रहिए, हम करेंगे, लेकिन जिन्होंने पिछले 14 सालों से नहीं किया, हम उन पर कैसे विश्वास कर सकते हैं कि वे हमारी मांग को स्वीकार करेंगे। निर्देश भेजना आपका फर्ज़ बनता है और आप यह करें, तो झारखंड की सारी जनता आपके गुण गाएगी। मैं समझता हूं कि तभी हम इस देश को बचा सकते हैं, नहीं तो जो यह भयंकर आतंकवाद हमारे जंगलों में फैल रहा है, यह और फैलता ही जाएगा जब तक उन इलाकों में PESA लागू न होगा। आप PESA को लागू करें, तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि नक्सलवाद को रोकने का जो काम है, यह गृह मंत्रालय का काम नहीं है। जोशी जी, यह आपका काम है, आप PESA को लागू करवाइए। आप देखेंगे कि वहीं के वहीं यह आतंकवाद भी निकल जाएगा, क्योंकि 50 हजार करोड़ रुपए पंचायतों के जरिए खर्च करने के लिए हमारे हाथ में है। आपके जिन इलाकों में आतंकवाद है, ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Please conclude. Your time is over.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR: Sir, I am just finishing in half a minute. I will conclude just in one sentence. जहां पर आतंकवाद फैल रहा है, वहां आपने दिखा दिया कि जनता के हाथ में साधन पहुंच रहा है, तो उस वक्त माओवाद केवल इतना ही कह सकेगा कि मेरे हाथ में बंदूक है और जनता कहेगी कि हमारे हाथ में साधन है और अधिकारीगण हमारी बात सुन रहे हैं। तब जाकर हम उनके सामने असली विकल्प रखते हैं कि वहां बंदूक और यहां साधन, फिर वे हमारे साधन की तरफ आएंगे।...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : आपका आधा मिनट हो गया है।

श्री मणि शंकर अय्यर : आपको मुबारक हो कि आप यह विधेयक यहां पर लाए, हम इसको पारित करेंगे, लेकिन हमारा काम यहां खत्म होता है और आपका काम वहां शुरू होता है। कहीं ऐसा न हो कि इस विधेयक को पारित करनवाने के बाद आप घर बैठ जाएं। इस पर बहुत कुछ करना है और मेरी यह अर्ज़ है कि नवम्बर में जो सेशन होना है, उसमें आप वापस सदन में आकर हमें रिपोर्ट दें कि झारखंड में पंचायत राज के लिए आपने कौन से कदम उठाए हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री सी.पी. जोशी) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं और जिन माननीय सदस्यों ने इस बिल के समर्थन में अपनी बात कही है, मैं उनका

वैयक्तिक पर बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे माननीय सदस्यों ने कुछ मुद्दे उठाए हैं और खास तौर पर पंचायती राज के ...(**व्यवधान**)... उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आभारी हूं, खासतौर से पंचायत राज के बिल को बनाने वाले और इसके पुरोधा माननीय मणि शंकर अय्यर जी भी इस सदन के सदस्य हैं। उन्होंने अपने कुछ एप्रीहेंशन इस एक्ट के संबंध में बताए हैं। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की यह मंशा है कि यह बिल पास होने के बाद हम पंचायत के चुनाव शीघ्रता से करवाएं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की डॉयरेक्शन्स हैं। मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इसमें सरकार कोई कोताही नहीं बरतेगी और पूरा प्रयत्न करेगी कि जल्दी से जल्दी चुनाव सम्पन्न हों। कुछ मुद्दे माननीय अहलुवालिया जी ने और सुश्री मैबल रिबैलो जी ने फाइनेंस कमीशन के संबंध में उठाए हैं, मुझे यह निवेदन करना है कि हमारे संविधान के अनुसार 11th फाइनेंस कमीशन 12th फाइनेंस कमीशन की जो रेकमेंडेशन्स हैं, उन रेकमेंडेशन्स में जो आधार थे, वे इस बात के थे कि वहां पंचायत होनी चाहिए थी और पंचायत नहीं है, तो उनकी रेकमेंडशन यह थी कि वहां पैसा devolve नहीं किया जा सकता है। आज 11th फाइनेंस कमीशन और 12th फाइनेंस कमीशन से मैं दोबार, इस हाउस में कमिट करने की स्थिति में नहीं हूं कि वह पैसा मिलेगा। मैं यह भरोसा दिलाना चाहता हूं 12th फाइनेंस कमीशन में जो devolve किया है, उसमें लगभग 1814 करोड़ रुपए झारखंड को मिलेंगे।

मैं विश्वास करता हूं कि झारखंड की जो स्थितियां हैं, उसमें पैसा डिवोल्व करना इतना इम्पोर्टेन्ट नहीं है, पैसे का ज्यूडिशियल उपयोग करना ज्यादा जरूरी है। मैं आपकी जानकारी के लिए एक ही फिगर देना चाहता हूं कि पी.एम.जी.एस.वाई. में हमने लगभग 2987 (दो हजार, नो सौ सित्यासी) करोड़ के काम सैंक्शन किये, लेकिन वहां पर अभी तक केवल मात्र 1,310 (एक हजार, तीन सौ दस) करोड़ के काम हुए हैं, लगभग 1678 (सोलह सौ अठत्तर) करोड़ रुपए के काम आज भी स्वीकृत हैं, जिनको झारखंड सरकार को एग्जिक्यूट करना है। झारखंड सरकार को हमने जगह-जगह पर 4,221 हैबिटेशन को कनेक्ट करने का काम दिया है। अभी वहां पर मात्र 1061 हेबीटेशन कनेक्ट हुए हैं। मैं यह फिगर केवल इसलिए देना चाहता हूं कि devolution of finances is not important, इम्पोर्टेन्ट यह है कि यदि हम झारखंड को पंचायत की बस्ती से, PESA की बस्ती से एक आदर्श राज्य बनाना चाहते हैं, तो मैं सबसे पहले विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मणिशंकर अय्यर जी भी बैठे हैं, कि सबसे पहली आवश्यकता है कि क्या हमने कभी सोचा कि ग्राम पंचायत का डैडिकेटिड स्टाफ होगा? जब तक ग्राम पंचायत में डैडिकेटिड स्टाफ नहीं होगा, तब तक थियोरेटिकली कितनी ही बात कर लें, उसके डिवोल्यूशन का काम ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। सबसे पहली आवश्यकता है कि ग्राम पंचायत का भवन बने और डैडिकेटिड स्टाफ हो। पहले एक जमाना था, लेकिन आज डैडिकेटिड स्टाफ में भी समय बदल गया है। आज हम उस पंचायत में रहने वाले ग्राम सेवक से आशा करते हैं कि वह वापस इनका काम करेगा, आज हम उससे आशा करते हैं कि वह हमें लिखकर इसकी सूचना भी देगा। जिस तरह से आई.टी. में परिवर्तन हो रहा है, आज यह आवश्यकता है कि पंचायत में आई.टी. की जानकारी रखने वाला भी एक आदमी हो। मैं यह मानता हूं कि अनटाइट पैसा मिलना चाहिए, लेकिन अनटाइड फंड या पैसा मिलने के बाद भी जब तक वहां डैडिकेटिड स्टाफ नहीं होगा, तब तक उसका सदुपयोग नहीं होगा। क्योंकि पंचायत स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए मैं आशा करता हूं कि राजनीति से ऊपर उठकर अलग-अलग राज्यों में आए प्रतिनिधियों ने पंचायती राज को मजबूत करने की जो बात कही है, मैं उनसे अपेक्षा करूंगा कि वे अपने प्रदेश की सरकारों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि वहां पर पंचायत में डैडिकेटिड स्टाफ होना चाहिए। जैसाकि मैंने पहले भी कहा कि आज की डेट में लगभग 70,000 (सत्तर हजार) पंचायत घर नहीं हैं। आज की डेट में 2..33 लाख (दो लाख, तैंतीस हजार) पंचायतों में लगभग तिहत्तर हजार डैडिकेटिड स्टाफ नहीं है,

एक पुअर ग्राम सेवक भी नहीं है। मेरे माननीय साथी बैठे हुए हैं, यू.पी. जैसी सरकार में, वहां पर पचास हजार से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं और आठ हजार के करीब ग्राम सेवक के पद हैं। आज हम कल्पना करें कि पचास हजार ग्राम पंचायतों में मनी डिवोल्व कर देंगे, अनटाइड पैसा दे देंगे, लेकिन यदि वहां नीचे काम करने के लिए अधिकारी नहीं हैं, तो पैसा डिवोल्व करने के बाद भी जितना आप सोचते हों, पैसे का उतना उपयोग नहीं हो सकता है। मैं इस बात से सहमत हूं कि आर्टिकल 243 जी में डी.पी.सी. की जो एक बात कही गई है, उस डी.पी.सी. से पंचायत की पूरी योजना बननी चाहिए। उसके आधार पर स्टेट अपना बजट पास करे, तो मैं समझता हूं कि हम जो ग्रास रूट से पंचायत की कल्पना कर रहे हैं, उसको साकार कर सकेंगे। सर, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन एक बात का निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात सही है कि PESA Act के संबंध में भारतीय जनता पार्टी से हमारे एक साथी ने कुछ बात कही है। मुझे PESA Act के संबंध में आश्चर्य होता है। यह 1996 में पास हो गया, 1996 में पास होने के बाद 2010 में अभी झारखंड की सरकार ने उस ऐक्ट को पास किया है। वह ऐक्ट ऑर्डिनेंस के रूप में वहां आया है। वहां की कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने उसको पास किया है। हम वहां पर सपोर्ट कर रहे हैं कि PESA Act के प्रोविजन को लागू किया जाए। यहां भारतीय जनता पार्टी के सदस्य मांग करते हैं और यहां खड़े होकर यदि कहते हैं कि PESA Act को लागू करने के बाद तकलीफ होगी, तो मैं समझता हूं, जैसा कि मणिशंकर अय्यर जी ने कहा है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि शेड्यूलड फिफ्थ के अंदर शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करने का जो अधिकार है, उस शेड्यूल एरिया के अंतर्गत, PESA के अंतर्गत जो भी एरिया आते हैं, उसमें PESA Act लागू होगा। झारखंड में राष्ट्रपति शासन है तो PESA Act लागू करने के लिए निश्चित तौर पर यदि पूरी कोशिश करेंगे। मैं यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि झारखंड के अंदर, वह चाहे मिनरल वेल्थ के संबंध में हो, चाहे लैंड एलिनिएशन के संबंध में हो, PESA Act के जो प्रोविजन्स हैं, उनको वहां पर निश्चित तौर से लागू किया जा सके, ये सभी कदम उठाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि यह अवसर है। वहां पर निश्चित तौर पर राष्ट्रपति शासन है। हम वहां क्वांटम जम्प करके झारखंड को एक आदर्श PESA Act लागू करने वाले स्टेट के रूप में देख सकते हैं। मैं निश्चित तौर पर कोशिश करूंगा कि उनकी भावनाओं के आधार पर हम PESA Act को लागू कराकर लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को मौका दें। मैं इस बात की हामी देने वाला हूं कि मौका मिलने के बाद जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन पर पूरा भरोसा करें। इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती है कि मणिशंकर अय्यर जी जैसे व्यक्ति खुद कहें कि नौकरशाही हावी नहीं होनी चाहिए। जब हम यह महसूस करते हैं कि यदि चुने हुए प्रतिनिधि के ऊपर पूरा विश्वास रखकर ताकत देने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र मजबूत होगा। हम सब इस बात के लिए कमिटिड हैं। राजीव गांधी जी ने सत्ता के विकेंद्रीकरण का सपना देखा था। वही एक सपना है जिसके माध्यम से हम जनता की सेवा करके उन समस्याओं का निदान कर सकते हैं, जिन समस्याओं को एड्रेस करने में हम असफल हैं। मैं आशा करता हूं कि यह बिल पास होगा तो उसके बाद हम एक कदम आगे बढ़ेंगे और लोगों को बतला सकेंगे कि झारखंड में हम ये तमाम काम कर सकेंगे। इन्हीं सारी भावनाओं के साथ सबसे निवेदन करता हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री मणि शंकर अय्यर : चुनाव की तारीख बताएं, उसका ऐलान करें।

श्री सी.पी. जोशी : मैं पंचायत राज्य मंत्री हूं, मैं आज यहां खड़ा होकर चुनाव के संबंध में माननीय सदस्यों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम गवर्नर से बात करेंगे आप खुद मंत्री रहे हैं, आपको पता है कि होम मिनिस्ट्री से बात करनी पड़ती है, पूरी स्थिति बनानी पड़ती है और हम इस बात के लिए पूरी तरह से कमिटिड

हैं। आज हम कह रहे हैं कि हम झारखंड को आदर्श राज्य बनाना चाहते हैं, PESA लागू करना चाहते हैं, राष्ट्रपति शासन में इसको उपयोग में लेना चाहते हैं, तो मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि गवर्नर साहब से बात करके शीघ्रताशीघ्र पंचायत के चुनाव कराएंगे। मैं आपको इस बात का पूरी तरह से भरोसा दिलाना चाहता हूं। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को पास किया जाए।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Okay. The question is:

"That the Bill further to amend the Jharkhand Panchayat Raj Act, 2001, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration. "

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): We shall, now, take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 10 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI C.P. JOSHI: Sir, I beg to move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

The Indian Medicine Central Council (Amendment) Bill, 2010

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI GHULAM NABI AZAD): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Indian Medicine Central Council Act, 1970, be taken into consideration."

Sir, this is, indeed, a historic occasion. Today, the Sowa-Rigpa, one of the oldest and well-documented traditional systems of medicine in the world is proposed to be given legal recognition as an Indian System of Medicine.

The Department of AYUSH was set up in the year 1995 with the objective to promote and propagate the Indian Systems of Medicine, including Ayurveda, Unani, Siddha, Yoga & Naturopathy as well as Homeopathy. Today, if given recognition to Sowa-Rigpa, the seventh member will be added to the AYUSH family.

The Sowa-Rigpa is widely practiced in countries, like, Tibet, Mangolia, Japan and some parts of China, Nepal and in a few parts of the former Soviet Union.

Within India, it is practiced in the trans-Himalayan region, especially Laddakh region of Jammu & Kashmir, Sikkim, Tawang & Bomdika in Arunachal Pradesh, Darjeeling and Kalimpong of West Bengal, Lahaul Spiti and Kinnore in Himachal Pradesh and Hubli and Mysore in Karnataka.